

駐印度臺北經濟文化中心與印度台北協會雙邊投資協定

駐印度臺北經濟文化中心與印度台北協會（以下分稱締約一方，合稱締約雙方）；

冀望促進締約雙方有關外國投資之雙邊合作；

咸認對於締約一方領域內投資人於締約他方領域內投資之促進與保障，有助於提升相互有益之商業活動、雙方經濟合作發展以及促進永續發展；及

重申主管機關基於其領域內法律及政策目標規範當地投資之權限。

茲同意如下：

## 第1章 總則

### 第1條

#### 定義

為本協定適用之目的：

1.1 「機密資訊」係指商業上之機密資訊，例如商務、財務或技術之機密資訊，可能造成實質之損益或危害爭端一方之競爭地位，且該資訊係受特別保護或受投資所在領域之法律保障，不得揭露；

1.2 「企業」係指：

- (a) 依投資所在領域內法律設立、組成及營運之任何法律實體，包含任何公司、有限責任合夥或合資；
- (b) 依投資所在領域內之法律，由前款任何法律實體所設立並有實質商業活動之分支機構。

1.3 「投資」係指投資人直接或間接所有或控制，依投資所在領域之法律出於善意所設立之企業，以及該企業之資產，具有投資特性，例如：資本或其他資源之投入、特定期間、獲利或利潤之期待、風險承擔及對投資所在領域之發展具足夠貢獻。企業得擁有下列資產：

- (a) 企業或在其他企業之股份、股票及其他形式之權益工具；
- (b) 其他企業之債務工具或證券；
- (c) 對其他企業之貸款：
  - (i) 該企業為投資人之關係企業，或
  - (ii) 貸款之清償期限至少3年；
- (d) 執照、許可、授權或其他依投資所在領域內法律所授予之類似權利；
- (e) 依領域內法律之長期性質之契約所賦予的權利，例如：培育、開採、探勘自然資源之權利，該契約包括統包、工程、管理、生產、收益分享；
- (f) 與貿易有關之智慧財產權協定第1條所列之智慧財產，指該協定第2篇第1至7節所列之各類智慧財產；
- (g) 動產或不動產及相關權利；及
- (h) 涉及實質經濟活動及可使企業取得重大財務價值之任何企業其他利益。

為臻明確，間接投資係指投資人透過非締約方領域內法律實體所設立之投資，該法律實體直接受投資人實質所有或控制。

為臻明確，投資不包含下列企業資產：

- (i) 在該企業或在其他企業之證券投資；為臻明確，證券投資係指以資本工具所為之投資，低於股權分散之公開發行企業已發行實收資本額百分之十，或低於各次以資本工具投資公開發行企業實收資本額百分之十；
- (ii) 政府或政府所有或控制之企業所發行之債券，或對政府或政府所有或控制之企業之貸款；
- (iii) 在投資所在領域內企業於實質商業營運前，任何關於企業之核准、設立、收購、擴張之營運前費用支出；
- (iv) 僅因領域內自然人或企業銷售貨品或服務予他方領域內企業之商業契約而生之金錢請求權；
- (v) 商譽、品牌價值、市場占有率或類似的無形權利；
- (vi) 僅因與任何商業交易相關之信用延伸而生之金錢請求權；
- (vii) 於任何司法、行政、仲裁程序之命令或裁決；及
- (viii) 未涉及本協定投資定義所規定之利益或營運之任何其他金錢請求權。

**1.4 「投資人」**係指除分支機構或辦事處之外，已於他方領域內投資之一方領域內自然人或法人；

為達本定義之目的，「法人」係指：

- (a) 依領域內法律設立、組織及營運，且於該領域內有實質商業活動之法律實體；或
- (b) 依領域內之法律設立、組織及營運，且由該領域內之自然人或 a 款所規定之法律實體直接或間接所有或控制之法律實體。

**1.5 「地方政府」**包括：(a)都市地方機構/政府或鄉鎮市等級機構，或(b) 都市地方機構/政府或鄉鎮市等級機構所有或控制之企業。

**1.6 「措施」**包括法律、法規、規則、程序、決定、行政作為、要求或行為。

1.7「投資前活動」包括投資人或企業在依領域內法律設立投資前所為之任何活動。投資人或其投資所為之任何活動符合外國股權之部門限制或投資所在領域內有關特定部門投資核准適用之其他限制或條件，均符合「投資前活動」之定義。

1.8「區域政府」係指邦及聯邦屬地層級之政府，但不包括地方政府。

1.9「領域」對於締約雙方係指領土，包括領海以及領海以外締約雙方領域內主管機關依據國際法或其相關法律得行使管轄權之海域。

1.10「世界貿易組織協定」係指於1994年4月15日在馬拉喀什簽訂之馬拉喀什設立世界貿易組織協定。

1.11構成協定一部分之附件、但書及附註，具有與本協定其他條文相同之效力。

## 第2條 範圍及一般條款

2.1 本協定應適用於一方領域關於他方領域投資人在其領域內之投資所採取或維持之措施，該等投資存在於本協定生效時，或於本協定生效後設立、收購、擴張，且已由一方領域依其法律、規則及政策核准。

2.2 除本協定第3章條款之規定外，本協定不應擴張適用於任何投資之設立、收購或擴張之任何投資前活動、或關於該等投資前活動之任何措施，包括持續適用於投資後之管理、作為、營運、銷售或其他處分之措施下的條款及條件。

2.3 本協定不適用於在本協定生效前已發生事件所生之控訴，或生效前已提出之控訴。

2.4 本協定不適用於：

(a) 地方政府所採之任何措施；



(b)任何關於租稅之法律或措施，包括執行租稅義務所採行之措施；

為臻明確，投資所在領域內主管機關決定被控訴違反本協定義務之行為係租稅事項時，不論於仲裁程序開始前或開始後，該決定應不具爭訟性，且不得由任何仲裁庭檢視該等決定。

(c)依照國內法關於智慧財產權之強制授權之核准，或智慧財產權之撤銷、限制或創設。但以該核准、撤銷、限制或創設符合在世界貿易組織協定下之義務者為限；

(d)政府採購；

(e)領域內主管機關所提供之補貼或補助；及

(f)由領域內主管機關或相關單位行使政府權限所提供之服務。為達本條款之目的，行使政府權限所提供之服務係指非基於商業基礎所提供之服務。

## 第2章 領域內主管機關之義務

### 第3條

#### 投資待遇

3.1 一方領域內主管機關不得透過下列違反習慣國際法之措施限制他方領域投資人之投資：

(a)在任何司法或行政程序拒絕正義；

(b)正當程序之根本違反；

(c)在顯然不公正之基礎上所為之針對性歧視，例如性別、種族或宗教信仰；或

(d)明顯的濫用性待遇，例如：強迫、威脅及騷擾。

3.2 他方領域之投資及投資人應享有充分保護與安全。為臻明確，「充分保護與安全」僅指締約一方領域內主管機關關於他方領域投資人之投資及投資人之人身安全之義務，而非指任何其他義務。

3.3 違反本協定其他條款或其他國際協定之認定，並不視為本條之違反。

3.4 於考量本條之違反時，仲裁庭應適度考量投資人或當地設立之企業在依本協定提出控訴前，是否向當地法院或仲裁庭提出救濟。

#### 第4條 不歧視待遇

- 4.1 他方領域投資人或其投資在同類情況下，關於在一方領域內投資之管理、作為、營運、銷售或其他處分所受之待遇，不應低於一方領域給予其投資人及其投資之待遇。
- 4.2 關於區域政府依第4.1條給予之待遇係指，在同類情況下，待遇應不低於該區域政府給予該區域所組成領域之投資人及其投資之待遇。

#### 第5條 徵收

- 5.1 除基於公共目的之理由、依據正當法律程序及給予適當的補償外，不得將他方領域投資人之投資直接或透過與徵收具有同等效果之措施，予以國有化或徵收（以下簡稱「徵收」）。該等補償應適當，且應至少等同被徵收投資在徵收發生前之日（「徵收日」）之公平市場價值，且不應反映因徵收較早被知悉而生之任何價值變動。評價標準應包括持續經營價值、包括有形財產申報課稅價值之資產價值及其他決定公平市場價值之適當標準。
- 5.2 補償之給予應以可自由轉換貨幣為之。補償之利息應以合理商業利率單利計算徵收日起至實際支付日止。補償應依第6條（資金移轉）自由移轉。
- 5.3 締約雙方咸認：
- (a) 徵收得為直接或間接：
- (i) 當投資被國有化或其他直接經由所有權之正式移轉或全部剝奪之徵收時，為直接徵收；
- (ii) 如無所有權之正式移轉或全部剝奪，領域內主管機關之措施或一系列之措施具相當於直接徵收之效果、實質或永久剝奪投資人對其投資之財產之重要屬性，包括投資之使用、收益及處分權，為間接徵收。
- (b) 決定單一或一系列之措施是否具相當於徵收之效果，需依個案並以事實為基礎進行調查，並考量下列因素：

- (i) 單一或一系列措施之經濟影響，但僅單一或一系列措施對投資有負面影響之單一事實，不構成間接徵收；
- (ii) 領域內主管機關之措施或一系列措施之期間；
- (iii) 措施或一系列措施之特性，尤其是目的、內容、意圖；及
- (iv) 領域內主管機關之措施是否違反先前對投資人所為具有拘束力之書面承諾，不論是依契約、執照或其他法律文件。

- 5.4 為避免疑義，領域雙方主管機關依其商業能力所為之行，為不構成徵收或其他具有類似效果之措施。
- 5.5 為保護公共健康、安全及環境等正當公共利益或公共目的之目標，領域內主管機關所採取之非歧視性管制措施，或領域內司法機關所為之裁決或措施，不構成本條之徵收。
- 5.6 於考量本條之違反時，仲裁庭應適度考量投資人或當地設立之企業在依本協定提出控訴前，是否向當地法院或仲裁庭提出救濟。

## 第 6 條 資金移轉

- 6.1 在符合一方領域之法律下，他方領域投資人在該領域內與投資有關之全部資金均可自由且基於不歧視之基礎進行移轉。此類資金包括：
- (a) 資本投入；
  - (b) 利潤、股利、資本利得、出售或清算投資之全部或一部所獲得之收入；
  - (c) 利息、權利金、管理費、技術協助術及其他費用；
  - (d) 依契約所為之給付，包括貸款契約；
  - (e) 依第 5 條(徵收)、第 7 條(損失補償)及第 4 章之給付；
- 6.2 除締約雙方另有約定外，應允許第 6.1 條之資金移轉以原投資所使用之貨幣或其他可兌換之貨幣為之。此類資金移轉應按移轉當日之市場匯率兌換。



- 6.3 本協定不得禁止一方領域主管機關基於善意適用其法律而限制或禁止資金移轉，包括與下列項相關之行為：
- (a) 破產、無力償付或保護債權人權利；
  - (b) 司法、仲裁或行政之決定或判決之遵循；
  - (c) 勞工義務之遵循；
  - (d) 為協助執法或金融監理機關之必要，而提供之財務報告或移轉紀錄；
  - (e) 證券、期貨、選擇權或衍生性金融商品之發行、交易或買賣；
  - (f) 稅法之遵循；
  - (g) 犯罪或應受處罰之行為及犯罪所得之追討；
  - (h) 社會安全、公共退休或強制儲蓄機制，包括公積金、退休酬金計畫及員工保險計畫；
  - (i) 員工遣散費；
  - (j) 締約一方領域內中央銀行及其他相關主管機關對於登記及符合其他要件的要求；及
  - (k) 對於印度台北協會而言，主管機關之外國直接投資政策對於首次資本投資之閉鎖期要求，但其中任何要求投資閉鎖期之新措施均不適用於現存之投資。

- 6.4 雖有第 6.1 條及第 6.2 條之規定，一方領域主管機關在國際收支遭遇嚴重困難或威脅時，或在特殊狀況下，因資本移動對總體經濟管理，尤其是貨幣及匯率政策，造成嚴重困難或有造成嚴重困難之虞時，得暫時限制資金移轉。

#### 第 7 條 損失補償

締約一方投資人在締約他方領域內之投資，因締約他方領域內之戰爭或其他武裝衝突、國家緊急狀況或民間騷亂而遭受損失時，締約他方給予該投資人關於復原、賠償、補償或其他解決方式之待遇，應不低於其給予本國投資人或非締約一方投資人之待遇。前述給付得自由移轉。

#### 第 8 條 代位權

- 8.1 如一方領域主管機關或其指定之代理人基於與投資相關之保證、保險契約付款予其所屬投資人，該主管機關或

代理人就任何在他方領域內與投資有關權利或資格之代位權效力在他方領域應受承認。

- 8.2 如一方領域主管機關或其指定之代理人依第 1 項規定代位取得投資人權利，就相關之投資，其在任何情形下均取得與投資人相同之權利。前述權利可由該主管機關或其指定之代理人行使，或由該主管機關或其指定之代理人授權投資人行使。

## 第 9 條 人員的進入及居留

依據雙方領域內有關非本國公民進入及居留之法律，並基於互惠原則，一方領域主管機關應允許受僱於當地企業或投資人之他方領域自然人，基於從事與投資相關活動之目的，進入並居留於境內。

## 第 10 條 透明化

- 10.1 締約一方應盡可能確保與本協定涵蓋之任何事項有關一般適用性之法律、法規、程序及行政裁決應即時公布周知，或使利害關係人及締約他方知悉。
- 10.2 對於法律及法規，締約一方應：
- (a) 事先公告任何其擬採取之措施；及
  - (b) 提供利害關係人及締約他方合理機會，評論該等擬採取之措施。
- 10.3 締約一方受締約他方要求時，應即時回應第 1 項相關問題及提供資訊。
- 10.4 本協定不得要求締約一方必須提供或給予接觸及使用機密資訊之管道，若揭露該資訊將妨害法律執行，或違背公共利益，或影響特定公法人或私法人之合法商業利益。

### 第3章 投資人義務

#### 第11條

##### 法律遵循

締約雙方重申及咸認：

- (a) 投資人及其投資應遵循締約一方領域關於投資之設立、收購、管理、營運及處分之全部法律、法規、程序及行政裁決。
- (b) 投資人及其投資，不論在投資設立前或設立後，不得向締約一方領域的公務員或官員行求、承諾或交付任何不正當的金錢利益、滿足或贈與，不論直接或間接，誘導或鼓勵其作為或不作為任何官方行為或取得或維持其他不正當利益，亦不得預謀引誘、協助、教唆或共謀實施此類行為。
- (c) 投資人及其投資應遵循領域內稅法之規定，包括按時繳納稅負。
- (d) 投資人應提供領域內主管機關所要求關於投資及投資人的公司歷史及投資行為的資訊，以便其作出有關該投資之決定或僅作統計目的使用。

#### 第12條

##### 企業社會責任

在領域內經營之投資人及其企業應致力於自願地將國際認可的企業社會責任標準納入其經營和內部政策，例如獲得領域內主管機關認可或支持的原則聲明。這些原則涉及諸如勞工、環境、人權、社區關係及反貪腐等議題。

### 第4章 投資爭端解決

#### 第13條

##### 範圍及定義

- 13.1 在不損及雙方領域內主管機關於第5章之權利與義務下，本章建立投資人與他方領域內主管機關間爭端解決機制。
- 13.2 本章僅適用於一方領域內主管機關與他方領域之投資人關於其投資之爭端，該爭端起於領域內主管機關被控訴違反

本協定第 9 條(人員的進入及居留)及 10 條(透明化)以外之第 2 章義務。

- 13.3 依本章成立之仲裁庭僅得裁決關於違反本協定第 9 條(人員的進入及居留)及 10 條(透明化)以外之第 2 章之控訴，不得裁決僅因投資人與領域內主管機關間契約違反而生之爭端，該等爭端僅得由國內法院或依相關契約所載之爭端解決條款處理。
- 13.4 倘投資之設立係經由不實陳述、隱瞞、賄賂、洗錢、構成程序濫用之行為或類似的違法機制時，投資人不得訴諸本章之仲裁。
- 13.5 除其他管轄權限制外，依本章成立之仲裁庭對下列事項無管轄權：  
(a) 檢視領域內司法機關所為裁決之實體部分；或  
(b) 受理現為或曾為第 5 章仲裁判斷標的之案件。
- 13.6 投資人與領域內主管機關之爭端應根據本章依序進行。
- 13.7 為達本章之目的：  
(a) 「抗辯方」係指依本條被控訴之領域內主管機關。  
(b) 「爭端一方」係指抗辯方或爭端投資人。  
(c) 「爭端雙方」係指抗辯方及爭端投資人。  
(d) 「爭端投資人」係指依本條對他方領域內主管機關提出控訴之一方領域投資人，包括代表當地設立企業提出控訴之一方領域投資人。  
(e) 「非爭端方」係指非本協定第 4 章爭端方之領域主管機關。  
(f) 「UNCITRAL 仲裁規則」係指聯合國國際貿易法委員會仲裁規則。  
(g) 「紐約公約」係指 1958 年 6 月 10 日於紐約簽署之聯合國承認與執行外國仲裁判斷公約。  
(h) 「國際商會仲裁規則」係指於 2012 年 1 月 1 日生效以及之後修正之國際商會仲裁規則。

#### 第 14 條

##### 不同國際協定下之程序

依據本章及其他國際協定提起控訴且：



- (a) 可能發生重複補償；或
- (b) 另一國際控訴可能對依本章提起控訴之解決產生重大影響，

依本章成立之仲裁庭應於聽取爭端雙方意見後，儘快暫停其仲裁程序，或確保其仲裁決定、命令或判斷有考量其他國際協定所進行之程序。

## 第 15 條

### 提交仲裁之先決條件

- 15.1 關於抗辯方違反本協定第 9 條(人員的進入及居留)及 10 條(透明化)以外之第 2 章之控訴，爭端投資人得遞交諮商及協商之書面請求(下稱書面請求)予抗辯方，以開啟本章之程序。
- 15.2 書面請求應：詳細說明爭端投資人或企業之名稱及住址；敘述控訴之事實基礎，包括系爭措施；詳細說明指稱違反之協定條款及任何其他相關條款；具體說明所尋求之救濟及請求賠償之約略數額；及提出證明爭端投資人為締約他方投資人之證據。
- 15.3 於收受書面請求後至少 6 個月期間，爭端雙方應盡其最大的努力嘗試以有意義的諮商、協商或其他第三方程序友好解決爭端。在此情況下，該諮商或協商之地點應位於投資所在領域。
- 15.4 於爭端雙方無法友好解決爭端時，在符合下列條件下，爭端投資人得依本協定提交仲裁：
- (a) 爭端投資人應向投資所在領域之相關國內法院或行政機構提出控訴，針對違反本協定之相同的措施或類似的事實事項提出國內救濟。向相關國內法院或行政機構提出之控訴應於投資人知悉或可得知悉投資因系爭措施遭受損失或損害之日起 1 年 6 個月內為之。為臻明確，於釋明已窮盡當地救濟之義務時，倘有本協定下之控訴是由不同當事人提出或該控訴是出於不同之訴因，則投資人仍不得主張免於適用或已符合窮盡當地救濟之義務。然而，就投資人控訴違反本協定之相同的措施或類似的事實事項，如投資人或當地設立企業釋明並無可合



理提供救濟之國內法律途徑，則不適用窮盡當地救濟之要求。

- (b) 關於系爭控訴所涉及之措施，於投資人知悉該措施之日起，投資人窮盡所有司法及行政救濟途徑至少 4 年，仍未獲得滿意之解決，
- (c) 於爭端投資人知悉或可得知悉該措施以及投資因該措施遭受損失或損害之日起，未逾 5 年 6 個月；或
- (d) 依據 b 款國內程序終結時起，未逾 12 個月。
- (e) 關於第 13.2 條所規定控訴違反協定之抗辯方之措施，爭端投資人或當地設立企業已放棄依任一締約方之法律在任何行政法庭、法院或其他爭端解決程序開啟或繼續任何程序之權利。
- (f) 在間接投資的情形，關於第 13.2 條所規定控訴違反協定之抗辯方措施，僅於爭端投資人與該投資所透過之其他領域法律實體皆放棄開啟或繼續任何程序之權利，包括其他投資協定下之權利，爭端投資人始得依第 4 章提交控訴。前述權利放棄之聲明應由爭端投資人與該投資所透過之其他領域法律實體以書面提供予抗辯方。
- (g) 在間接投資的情形，倘爭端投資人及該投資所透過之其他領域法律實體，對於相同或相同系列之措施在任何程序下提出或已提出控訴，包括在其他投資協定之程序，即不得依本章提交控訴。
- (h) 關於第 13.2 條所規定控訴違反協定之抗辯方之措施，於爭端投資人提出之控訴係為在締約他方由其所有或控制之企業之利益遭受損失或損害時，該企業已放棄依任一締約方之法律在任何行政法庭或法院、或其他爭端解決程序開啟或繼續任何程序之權利。
- (i) 於提交仲裁之至少 90 日前，爭端投資人已將提付仲裁之書面意向通知（「仲裁通知」）遞交給抗辯方，仲裁通知應：
  - (i) 附加書面要求及向抗辯方敘述爭端細節之紀錄；
  - (ii) 依據本協定規定之程序，視情況需要提交爭端投資人或當地設立企業之仲裁同意；
  - (iii) 提交依第 15.4 條第 e、f、g 或 h 款之權利放棄；但抗辯方已剝奪爭端投資人對企業之控制時，該企業不需依第 15.4 條第 e、f、g 或 h 款為權利放棄；
  - (iv) 詳細說明爭端投資人所指定之仲裁人之姓名。

## 第 16 條 提交仲裁

- 16.1 符合第 15 條(提交仲裁之先決條件)所規定之先決條件之爭端投資人得依下列規定提交仲裁：
- (a) UNCITRAL 仲裁規則；或
  - (b) 爭端雙方合意之其他仲裁規則，包括國際商會仲裁規則。
- 16.2 除依本章所為之調整及締約雙方所採用之任何後續規則之補充，仲裁應依選定適用之仲裁規則進行。
- 16.3 當 UNCITRAL 仲裁規則下之仲裁通知已由抗辯方收受時，視為依本章提交仲裁。
- 16.4 向締約一方提交通知及其他文件應向各締約方指定之代表為之。

## 第 17 條 指定仲裁人

- 17.1 仲裁庭應由 3 位仲裁人組成，且其具有國際公法、國際貿易法及國際投資法相關專業或經驗，或曾處理國際貿易及國際投資協定之爭議。關於貿易及投資事務，仲裁人應獨立、不隸屬及不聽從爭端一方或締約一方領域主管機關。關於爭端相關事務，仲裁人不應聽從任何組織、政府、領域主管機關或爭端一方。
- 17.2 爭端一方應各指定 1 位仲裁人，第 3 位仲裁人(「主仲裁人」)應由其他仲裁人及爭端雙方合意指定。
- 17.3 倘仲裁庭於控訴依本條提交仲裁後 120 日內仍未組成，本條之指定仲裁人機構應為常設仲裁法院之秘書長。
- 17.4 指定仲裁人機構應依據其裁量權及諮詢爭端雙方後，指定尚未任命之仲裁人。

**第 18 條**  
**仲裁人利益衝突避免及聲明不服**

- 18.1 依本協定指定解決爭端之每位仲裁人應於整個仲裁程序中維持公正、獨立及避免任何實際或潛在的利益衝突。
- 18.2 每位仲裁人被提名後，如獲得指定，應持續書面揭露爭端雙方認為可能對其獨立、公正或無利益衝突產生懷疑的情況。前述情況包括任何第 18.10 條所列項目、任何其他與爭端標的相關之情況，以及與爭端雙方、締約雙方、法律顧問、代表、證人或其他仲裁人具有現存或過去、直接或間接、財務、個人、商業或職業關係之情況。仲裁人應於知悉該情況時立即揭露，且應向其他仲裁人、爭端雙方及指定仲裁人機構揭露。無論上述個人或實體是否能夠自行取得應揭露之資訊，或該資訊是否公開，皆不豁免仲裁人主動揭露該資訊之義務。倘是否應揭露產生疑慮時，應認定必須揭露。
- 18.3 爭端一方得對依本協定指定之仲裁人聲明不服：
- (a) 倘存有爭端雙方認為可能對仲裁人的獨立、公正或無利益衝突產生合理懷疑之事實或情況；或
  - (b) 仲裁人不作為或仲裁人事實上或法律上無法履行其職務，
- 但該當事人於發生下列情形 15 日後，不得聲明不服：
- (i) 經由仲裁人依第 18.2 條所為之揭露而知悉相關事實或情況，或 (ii) 以其他方式知悉與第 18.3 條聲明不服之相關事實或情況，以較晚發生者為準。
- 18.4 聲明不服之通知應提供予爭端一方、被聲明不服之仲裁人、其他仲裁人及第 17.3 條之指定仲裁機構。該通知應敘明不服之理由。
- 18.5 當仲裁人遭爭端一方聲明不服時，爭端雙方得同意該聲明不服。該仲裁人亦得於該聲明不服後自行迴避。上述兩個情形皆不代表聲明不服之理由屬實。
- 18.6 倘於提出聲明不服通知之 15 日內，爭端雙方不同意該聲明不服或被聲明不服之仲裁人不自行迴避，聲明不服之爭端一方得繼續聲明不服。在此情形，於提出聲明不服通知

之 30 日內，該爭端一方應請求第 17.3 條之指定仲裁人機構對聲明不服作成決定。

18.7 即使仲裁人實際上並無偏見，倘客觀第三方認為存有導致對仲裁人缺乏獨立、公正、無利益衝突或履行其職務能力產生合理懷疑之情況，第 17.3 條之指定仲裁人機構應同意依第 18.3 條所為之聲明不服。

18.8 當仲裁人於仲裁程序被替換時，替代仲裁人之指定或選擇應依據本協定所規定之程序以及指定及選擇原仲裁人所適用之仲裁規則。即使爭端一方於指定原仲裁人時未能行使其指定或參與指定的權利，上述程序仍應適用。

18.9 倘更換仲裁人，除爭端雙方另有約定外，仲裁程序於原仲裁人停止其職務的階段恢復進行。

18.10 有以下情形存在時，應認關於仲裁人之獨立、公正或無利益衝突存有正當懷疑：

(a) 仲裁人或其關係人或親屬對特定仲裁結果具有利益；  
(b) 仲裁人在仲裁開始前 3 年內係指定方的代表/顧問或指定方所屬人員。

(c) 仲裁人與爭端一方之法律顧問來自同一律師事務所；

(d) 仲裁人與爭端一方的法律顧問或律師事務所同時涉入另一爭議中；

(e) 仲裁人之事務所正在提供或已提供服務予爭端一方或當事人一方之關係企業，且該事務所從中獲得財務利益；

(f) 於被指定為仲裁人之前，仲裁人已接受指定方或其法律顧問對於該爭議之實體或程序面之全面簡報；

(g) 仲裁人係爭端一方經理、董事或管理機構之成員，或透過持股或其他方式對於爭端一方具有類似控制影響力。

(h) 仲裁人曾公開提出對於正在仲裁案件議題之特定立場。

18.11 締約雙方應透過相互協議並於完成各自程序後，制定獨立之仲裁人行準則，以適用於本協定所生之爭議，且該準則取代或補充現行適用之規則。該準則處理之議題包括揭露義務、仲裁人之獨立與公正及保密。



**第 19 條**  
**仲裁程序的進行**

- 19.1 除爭端雙方另有約定外，仲裁庭應於紐約公約締約國進行仲裁程序，且倘當事人選定 UNCITRAL 仲裁規則，則應依據該規則選擇仲裁地。
- 19.2 除爭端雙方另有約定外，仲裁庭應決定仲裁會議、聽證及仲裁地之地點。在決定上述事項時，仲裁庭應考量下列因素：當事人以及仲裁人之便利性、爭端事項所在地、證據可及性，並應特別考量投資所在領域。
- 19.3 有關證據及文書提出，倘抗辯方主張依據投資所在領域內之法律有關機密或特別保護之規則，文書受保護而免於揭露，則仲裁庭不得命令抗辯方提出該文書。

**第 20 條**  
**濫訴之駁回**

- 20.1 在不損及仲裁庭處理其他異議事項權力之前提下，抗辯方對爭端投資人之控訴主張下列異議時，仲裁庭應就該異議作為先決問題處理並決定：
- (a) 仲裁庭無管轄權；或
  - (b) 在法律上顯無理由或顯無根據。
- 20.2 前項所稱異議應於仲裁庭成立後儘速提出，且不得遲於仲裁庭所訂抗辯方應提交抗辯訴狀期日(或於仲裁通知修正情形，則為仲裁庭所訂抗辯方應提出回覆修正之期日)。
- 20.3 一旦收受本條異議之通知，仲裁庭應暫停任何實體審理程序，並排定與其他先決問題相同之審理時程，以及作出本異議之決定或裁定並說明理由。任何關於本條異議之決定，仲裁庭應假設爭端投資人於仲裁通知(或其修正)控訴所根據之事實為真。對於非本案之相關事實，仲裁庭得一併考量。
- 20.4 仲裁庭應於收到當事人依據第 20.2 條之請求日起 150 日內作成本條之判斷。但抗辯方請求聽證時，仲裁庭得延展上述期間 30 日作成判斷。



20.5 即使抗辯方行使或未行使異議權或使用本條之快速程序，不得視為抗辯方放棄審理權之異議或實體法律關係之主張。

20.6 當仲裁庭決定抗辯方依第 20.2 條或第 20.3 條提出之先決異議時，如屬合理，仲裁庭得裁定給予勝訴之抗辯方因提交或反對前述異議所生之合理費用與律師費。在判斷上述裁定是否合理時，仲裁庭應考量爭端投資人之控訴或抗辯方之異議為濫訴，且應給予爭端雙方合理之陳述機會。

## 第 21 條 仲裁程序之透明化

21.1 於符合有關保護機密資訊法律之情況下，抗辯方應公開下列有關本章下所指涉爭端之下列文件：

- (a) 書面請求及仲裁通知；
- (b) 訴狀及其他向仲裁庭提交有關該仲裁管轄權及實體事項之文件，包括非爭端方提出之文件；
- (c) 可取得之聽證紀錄；及
- (d) 仲裁庭之決定、命令及仲裁判斷。

21.2 提出證據或口頭陳述之聽證(「聽證」)應在符合下列條款之情形下公開：

- (a) 當程序中有需保護機密資訊或保護出庭者之安全時，仲裁庭應將該等需要保護之部分以不公開形式進行。
- (b) 仲裁庭應以可促進公眾參與之形式安排聽證之進行，包括透過提供影音連結或其他仲裁庭認為合宜之方式。但若因現實條件導致前述聽證公開舉行不可行之情況下，仲裁庭得於徵詢爭端雙方後，決定將全部或部分的聽證以不公開形式進行。

21.3 於適當編修機密資訊後，本條規範下之仲裁判斷應公開。倘抗辯方認定有助公眾利益，於通知仲裁庭該認定後，所有其他向仲裁庭提交或由仲裁庭發布之文件，於適當編修機密資訊後，應公開。

21.4 非爭端方可向仲裁庭發表或提交有關本協定解釋之口頭或書面聲明。

**第 22 條**  
**舉證責任和準據法**

- 22.1 本協定應在國際法給予國家在發展和執行國內政策高度尊重的情況下加以解釋。
- 22.2 爭端投資人就下列事項負舉證責任：
- (a) 管轄權；
  - (b) 除第 9 條(人員的進入及居留)或第 10 條(透明化)條款外，第 2 章義務存在；
  - (c) 前開義務之違反；
  - (d) 投資人或其投資因該違反而遭受實質或可得確定的損失；和
  - (e) 前開損失是可預見的且係直接因該違反所產生。
- 22.3 依本章成立之仲裁庭解釋本協定之準據法為：
- (a) 本協定；
  - (b) 國際公法對解釋協定的一般原則，包括締約雙方締結之其他國際協定的一致性推定；
  - (c) 對於國內法相關事項，抗辯方國內法律。

**第 23 條**  
**聯合解釋**

- 23.1. 一旦締約雙方依本協定作成對本協定特定條文之解釋或適用本協定之決定，應拘束依本章成立的仲裁庭。
- 23.2 依習慣國際法，其他締約雙方後續對本協定所為的解釋或適用之合意或實踐之證據構成本協定的權威解釋，且依本章成立的仲裁庭應將其納入考量。
- 23.3 仲裁庭得依職權或依抗辯方的請求，就爭端所涉及的本協定任何條款請求聯合解釋。締約雙方應於接到請求後 60 日內對仲裁庭提出對該解釋的書面共同決定。在不減損對締約方在第 23.1 條及第 23.2 條的權利下，如締約雙方未能在 60 日內提出該決定，締約一方單獨所為的解釋應提交爭端雙方及仲裁庭，且仲裁庭得將該解釋納入考量。

## 第 24 條 專家報告

於不影響依據適用之仲裁規則對其他專家之指定下，除非爭端雙方反對，仲裁庭在爭端雙方同意的條款或條件下，得指定專家對爭端一方所提起任何有關環境、健康、安全、技術或其他科學事項的事實議題提出書面報告。

## 第 25 條 仲裁判斷

- 25.1 仲裁判斷應包括抗辯方是否違反本協定對爭端投資人及其投資之權利保護，及該仲裁判斷之法律基礎與理由。
- 25.2 仲裁庭的決定應為多數決。其決定應拘束爭端雙方。
- 25.3 針對違反本協定第 2 章之義務，仲裁庭僅得為金錢賠償之仲裁判斷。若投資人或當地設立企業所受之損害，先前已受領域內主管機關賠償或補償，金錢賠償不得大於損害扣除已賠償或補償之餘額。為計算金錢賠償，仲裁庭應考量任何財產返還、措施撤銷或修正或其他減輕賠償之因素。<sup>1</sup>
- 25.4 在任何情況下，仲裁庭均不得為對締約一方領域內主管機關為懲罰性或道德上的損害賠償或任何禁制令。

## 第 26 條 仲裁判斷之終局效力及執行

- 26.1 仲裁庭所作的仲裁判斷，僅對爭端雙方及該案有拘束力，且仲裁庭應在仲裁判斷文字內中敘明此限制。

---

<sup>1</sup> 減輕賠償的因素可包括現在及過去的投資使用情形、投資收購及目的之歷史、投資人從其他來源獲得的補償、任何投資人對環境或當地社區造成尚未受補償的傷害或損害，或其他需要平衡公共利益及投資人利益的相關考量因素。

26.2 在符合第 26.3 條之情形下，爭端一方應立即遵守該仲裁判斷。

26.3 爭端一方僅在符合下列情形下，始得尋求執行終局仲裁判斷：

- (a) 該仲裁判斷作成日起逾 90 日，無爭端方請求修正、撤銷或廢棄該仲裁判斷者；或
- (b) 法院已駁回或准許關於修正、撤銷或廢棄仲裁判斷之聲請，且無上訴。

26.4 領域內主管機關應在其領域內依法執行仲裁判斷。

26.5 為符合紐約公約第 1 條之目的，依本章所提付仲裁的請求均視為係源自商業關係或交易。

## 第 27 條 支出

爭端雙方應分擔仲裁之支出，包括仲裁人費用、花費、津貼及其他行政支出。爭端雙方應各自分擔其代表參與仲裁程序之相關支出。仲裁庭得依職權裁決全部或較高比例的仲裁支出應由爭端一方負擔，且此裁決係終局並拘束爭端雙方。

## 第 28 條 上訴機制

締約雙方得協議或於完成其各自使本協定生效的國內程序後，建立制度性機制以發展仲裁判斷的上訴機構或其他類似機制以審查依本章成立仲裁庭作出的仲裁判斷。此上訴機構或其他類似機制之設計係為提供解釋本協定條款一致性。為發展此機制，締約雙方得將下列議題納入考量：

- (a) 上訴機構或其他類似機制的性質與組成；
- (b) 上訴機構的審查範圍和標準；
- (c) 上訴機構或其他類似機制的程序透明化；
- (d) 上訴機構或其他類似機制裁決的效力；
- (e) 上訴機構或其他類似機制之審查與依本協定第 16.1 條選定仲裁規則之關係；



- (f) 上訴機構或其他類似機制之審查與現行國內法或國際法上關於仲裁判斷執行規定之關係。

## 第 5 章 締約雙方之爭端解決

### 第 29 條

#### 締約雙方之爭端

- 29.1 締約雙方之爭端關於：
- (a) 本協定之解釋或適用；
  - (b) 是否遵守第 35 條善意諮商的義務。
- 應儘可能經由諮商或協商妥善解決，包括可採用不具拘束力的第三方調停或其他類似機制。
- 29.2 如締約雙方爭端無法在爭端發生後 6 個月內解決，締約一方得請求交付仲裁。
- 29.3 針對個別爭端案所成立之仲裁庭，應依下列方式為之：在收到仲裁請求後 2 個月內，締約一方應各自指定 1 位仲裁人。主仲裁人之選定，應由前述 2 位仲裁人指定第三國國民，並經締約雙方同意。主仲裁人應在前述 2 位仲裁人被選定後 2 個月內指定。
- 29.4 如第 29.3 條規定之期間內未能完成仲裁人與主仲裁人之指定，在無其他合意下，締約一方得請常設仲裁法院的秘書長為必要之指定。
- 29.5 仲裁庭的決定應為多數決。其決定應拘束締約雙方。
- 29.6 締約雙方應分擔仲裁之支出，包括仲裁人費用、花費、津貼及其他行政支出。締約雙方應各自分擔其代表參與仲裁程序之相關費用。仲裁庭得依職權裁決全部或較高比例的仲裁支出應由締約雙方其中的一方負擔，且此裁決係終局並拘束締約雙方。
- 29.7 仲裁庭應依締約雙方的合意決定與審理權及其程序相關之所有問題。



## 第 6 章 審慎措施及例外

### 第 30 條

#### 審慎措施

雖有本協定其他規定，領域內主管機關不應被禁止基於審慎原因，採取與金融服務相關之措施，包括為保障投資人、存款戶、保戶或金融服務業對其負有忠實義務之自然人或法人，或為確保金融及貨幣系統之健全性及穩定性之措施。如該等措施與本協定規定有不符者，不得藉以規避締約一方於本協定下之承諾或義務之手段。

### 第 31 條

#### 一般例外

31.1 本協定不得解釋為禁止領域內主管機關採取或執行下列普遍適用並基於不歧視基礎之必要措施<sup>2</sup>：

- (a) 保護公共道德或維持公共秩序；
- (b) 保護人類、動物或植物生命或健康；
- (c) 為確保不違反本協定規定之法律及規則之遵循；
- (d) 為保護及維持環境，包括有生命及無生命之全部自然資源；
- (e) 保護具有藝術、文化、歷史或考古學價值之國家文物或遺跡。

31.2 本協定不適用於領域內之中央銀行或貨幣主管機關為推行貨幣及相關信用政策或匯率政策而採取普遍適用的非歧視性措施。本項不妨礙締約方在第 6 條（資金移轉）的權利和義務。

### 第 32 條

#### 安全例外

32.1 本協定各項規定不得解釋為：

---

<sup>2</sup> 在考量一項措施是否為「必要」時，仲裁庭應考量領域內主管機關是否具有合理存在之較低限制替代措施。

- (a) 要求領域內主管機關提供認為透露必違反其重大安全利益之資訊；或
- (b) 禁止領域內之主管機關採取下列其認為保護其重大安全利益之必要作為，包括但不限於：
  - (i) 關於具有原子分裂性及融合性之物質或製造該物質原料之作為；
  - (ii) 在戰爭或其他國內或國際關係緊急時所採行之作為；
  - (iii) 關於販賣武器、彈藥或其他戰爭物資，或為供應軍用設備而直接或間接販賣其他相關物品之作為；
  - (iv) 為保護重要公共基礎建設（包括通訊、電力、水利基礎設施）免遭蓄意癱瘓或破壞而採取之作為；
  - (v) 任何政策、要求或措施，包括但不限於要求任何公司、人員或設備取得（或拒絕）安全許可；或
- (c) 禁止領域內主管機關為履行依聯合國憲章所負關於維持國際和平及安全之義務而採取之作為。

32.2 締約一方應盡其所能通知締約他方關於依第 32.1 條所採取之措施及其終止。

32.3 本章中的任何規定均不得被解釋為要求領域內之主管機關將本協定的利益授予締約他方的投資人，當領域內之主管機關依任何法律或規定，對任何非締約方或其投資人採取或維持其認為有必要保護重要安全利益之措施，且將本章利益授予前述之法人或其投資，將違反或規避該措施。

32.4 本條規定應依締約雙方在附件對安全例外之瞭解進行解釋，且附件構成本協定之一部分。

## 第 7 章 最終條款

### 第 33 條

#### 與其他協定的關係

33.1 本協定或依本協定所採取的任何作為均不影響締約雙方參與之任何其他協定下的權利和義務。

33.2 本協定與締約雙方另外簽署之雙邊協定或雙方參與之其他多邊協定間，有任何不一致或問題，應依據國際法原則解決。

### 第 34 條 拒絕授予利益

領域內主管機關得隨時，包括依本協定第 4 章進行仲裁程序後，拒絕授予本協定利益予：

- (a) 由非締約一方或拒絕授予利益之主管機關領域內之人，直接或間接所有或控制之投資人；或
- (b) 經設立或重組之投資或投資人，其主要目的係為獲得使用本協定的爭端解決機制。

### 第 35 條 諮商及定期檢視

35.1 締約一方得提出要求，締約他方應即時同意就解釋、適用、實施、執行或任何其他事項善意進行諮商，包括但不限於：

- (a) 檢視本協定的實施情形；
- (b) 檢視本協定的解釋或適用；
- (c) 交換法規資訊；
- (d) 處理本協定第 4 章所生的爭端；
- (e) 因投資而起的任何其他爭端。

35.2 除依本條規定進行諮商外，締約雙方得共同決定採取任何作為，包括制定及採納對本協定第 4 章或第 5 章所適用的仲裁規則的補充規則、發表對本協定具約束力的解釋，及為提升本協定的效率而採取之聯合措施。

35.3 本協定生效後，締約雙方應每 5 年諮商並檢視本協定之運作及效果。

### 第 36 條 政府協調機制

36.1 締約雙方應建立政府協調機制，由所指定領域內主管機關之代表協助處理與投資人及其投資相關的任何事件或活動。

- 36.2 如有發生任何前項之事件或活動，締約一方所屬投資人要求時，該締約方應循政府協調機制，在受到請求後 30 日內透過適當方式舉行會議，以處理上述事件或活動。

### 第 37 條 修正

- 37.1 本協定得經締約一方要求，隨時修正。要求修正之締約方必須以書面提出請求並說明要求修正之理由。締約他方應書面回復要求修正之締約方之修正請求，並進行諮商。
- 37.2 於締約雙方同意時，本協定將隨時自動修正。任何依本條規定修正本協定的協議應以書面為之，無論是單一書面文件或透過換文。前述修正對依本協定第 4 章或第 5 章所組成的仲裁庭具有拘束力，且仲裁庭之判斷應符合本協定的所有修正。

### 第 38 條 生效、期間及終止

- 38.1 本協定經締約雙方書面換文通知完成本協定必要之內部程序後生效。
- 38.2 本協定有效期間為 10 年，嗣後本協定應失效，除非雙方書面明示同意應予續約。本協定生效後得隨時終止，倘締約一方於 12 個月前以書面通知締約他方表示終止本協定，本協定經通知 12 個月期滿後立即終止。
- 38.3 關於本協定終止日前已存在之投資，本協定條款自有效終止日起 8 年內繼續有效。



為此，雙方代表各經合法授權於本協定簽字，以昭信守。

本協定在臺北於 2018 年 12 月 18 日以中文、印度文及英文簽署，  
三種文本同一作準。

遇有疑義時，應以英文本為準。

代表  
駐印度臺北經濟文化中心

田中光

會長  
印度台北協會

MOFA 316

MOFA 316



#### 附件:安全例外

締約雙方確認對本協定第 32 條(安全例外)之解釋及/或執行，瞭解如下：

- (a) 第 32.3 條之措施，係指實施該措施之締約一方領域內主管機關之意圖及目的是為保護其基本安全利益之措施。該措施應於不歧視之基礎上實施，且規定於其法律或法規：
  - (i) 對於印度台北協會，第 32.3 條所指之措施係 1999 年外匯管理法及相關規則及法規之規定。印度台北協會應於締約他方請求時，提供該措施之相關資訊。
  - (ii) 對於駐印度臺北經濟文化中心，第 32.3 條所指之措施係管理外匯條例及相關規則及法規之規定。駐印度臺北經濟文化中心應於締約他方請求時，提供該措施之相關資訊。
- (b) 領域內主管機關抗辯其被指控違反本協定義務之行為係為保護第 32 條規定之基本安全利益時，該領域內主管機關基於安全考量所作決定及其於任何時間援引第 32 條(安全例外)之決定，無論是在仲裁程序開始前或開始後，應不具爭訟性。前述決定不應由任何依第 4 章或第 5 章組成之仲裁庭檢視，即使仲裁程序涉及損害賠償及補償請求之評估，或仲裁庭對於其他議題之裁決。

ताइपेई में भारत ताइपेई संघ  
और  
भारत में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र  
के बीच  
द्विपक्षीय निवेश करार

उद्देशिका

ताइपेई में भारत ताइपेई संघ ("आईटीए") और भारत में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र ("टीईसीसी") (इसमें इसके बाद वैयक्तिक रूप से "पक्षकार" या सामूहिक रूप से "पक्षकारगण" के रूप में उल्लिखित);

विदेशी निवेशों के संबंध में पक्षकारगण के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि एक पक्षकार के राज्य क्षेत्र के निवेशकों का निवेशों के दूसरे पक्षकारगण के राज्य क्षेत्र में संवर्धन और संरक्षण उनके बीच आर्थिक सहयोग के विकास और धारणीय विकास के संवर्धन के लिए आपसी रूप से लाभदायक व्यवसाय संबंधी कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिए उत्प्रेरक होगा; और अपने-अपने राज्य क्षेत्र में अपनी-अपनी विधि और नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार निवेशों को विनियमित करने के लिए प्राधिकरणों के अधिकार की पुनःपुष्टि करते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

इस कतर के प्रयोजनार्थ:

1.1 "गोपनीय सूचना" का अर्थ है व्यावसायिक गोपनीय सूचना, उदाहरणार्थ गोपनीय वाणिज्यिक, वित्तीय अथवा तकनीकी सूचना जिसके परिणामस्वरूप विवादकारी पक्षकार को वास्तविक हानि अथवा लाभ हो सकता हो अथवा उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता हो और ऐसी सूचना जो विशेषाधिकृत हो अथवा पक्षकार के कानून के अंतर्गत प्रकटन से अन्यथा संरक्षित की गई हो;

1.2 "उद्यम" का अर्थ है:

- (क) कोई विधिक निकाय जो उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के कानून के अनुपालन में गठित, संगठित और प्रचालित किया जा रहा हो, इसमें कंपनी, निगम, सीमित देनदारी की भागीदारी अथवा संयुक्त उद्यम शामिल हैं; और
- (ख) उस राज्यक्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के कानून के अनुसार स्थापित किसी ऐसे निकाय की शाखा जो वहां व्यावसायिक कार्यकलापों में लगी हो।

1.3 "निवेश" का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित ऐसा उद्यम जो उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के कानून के अनुसार निवेशक द्वारा सद्भावपूर्वक, , गठित, संगठित और प्रचालित किया जा रहा हो, इसमें उद्यम की आस्तियां भी शामिल हैं। इसमें निवेश की विशिष्टताएं भी होंगी जैसे कि पूंजी अथवा अन्य संसाधनों से संबंधित वचनबद्धता, निश्चित अवधि, लाभ या फायदे की संभावना, जोखिम का पूर्वानुमान और जिस पक्षकार के राज्यक्षेत्र में निवेश किया गया है, उसके विकास के लिए इसकी अहमियत। उद्यम में निम्नलिखित आस्तियां शामिल हो सकती हैं:

- (क) उद्यम के अथवा किसी अन्य उद्यम में शेयर, स्टॉक अथवा इक्विटी लिखतों के अन्य रूप;
- (ख) किसी अन्य उद्यम की ऋण लिखत अथवा प्रतिभूति;
- (ग) किसी अन्य उद्यम का ऋण;
  - (i) जहां उद्यम, निवेशक की सम्बद्ध शाखा हो, अथवा
  - (ii) जहां ऋण की मूल परिपक्वता कम से कम तीन वर्ष हो;
- (घ) लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण अथवा इसी प्रकार के अधिकार जो उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के कानून के अनुसार प्रदान किए गए हों;



- (इ) दीर्घावधि स्वरूप की संविदाओं जैसे कि राज्य क्षेत्र के कानून के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने, उन्हें निकालने अथवा उन्हें विकसित करने, टर्नकी, निर्माण, प्रबंधन, उत्पादन, राजस्व-साझा करने सहित, संविदाओं द्वारा प्रदत्त अधिकार, अथवा
- (च) बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों के व्यापार से संबंधित तथ्यों (ट्रिप्स) के अनुच्छेद 1 में यथाप्रदत्त बौद्धिक संपदा, में बौद्धिक संपदा की उन समस्त श्रेणियों का उल्लेख है जो ट्रिप्स करार के भाग II के 7 के जरिए धारा 1 का विषय हैं; और
- (छ) चल अथवा अचल संपत्ति और संबंधित अधिकार;
- (ज) उद्यम के कोई अन्य हित जिनमें पर्याप्त आर्थिक कार्यकलाप शामिल हो और जिनमें से उद्यम को पर्याप्त वित्तीय मूल्य प्राप्त होता हो;

बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अप्रत्यक्ष निवेश का अर्थ किसी ऐसे निवेश से है जिसे किसी निवेशक द्वारा किसी गैर-पक्षकार, जहां निवेशक द्वारा ऐसा कानूनी निकाय सारभूत रूप में प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित हो, के कानूनी निकाय के जरिए किया गया हो।

बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए, निवेश में उद्यम की निम्नलिखित आस्तियां शामिल नहीं होंगी:

- (i) उद्यम के अथवा किसी अन्य उद्यम में पोर्टफोलियो निवेश; और अधिक निश्चितता के लिए, पोर्टफोलियो निवेशों को अर्थ पूंजीगत लिखतों के जरिए ऐसे निवेश से है यहां ऐसा निवेश सूचीबद्ध उद्यम के पूर्णतः न्यूनतम आधार पर पश्च निर्गम चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से कम हो या किसी सूचीबद्ध उद्यम की पूंजीगत लिखतों की प्रत्येक श्रृंखला के संदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से कम हो;
- (ii) किसी प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित उद्यम द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां, अथवा किसी प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित उद्यम को दिए गए ऋण;
- (iii) जिस राज्यक्षेत्र में निवेश किया गया है, वहां उस उद्यम के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रचालनों को आरंभ किए जाने से पूर्व, उद्यम की स्वीकृति, स्थापना, अधिग्रहण अथवा विस्तार से संबंधित किए गए प्रचालन- पूर्व कोई व्यय;
- (iv) किसी राज्यक्षेत्र में दूसरे राज्य क्षेत्र में किसी उद्यम को किसी देशजात व्यक्ति अथवा किसी उद्यम द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री के लिए केवल वाणिज्यिक संविदाओं से उत्पन्न धनराशि के दावे;
- (v) सद्भाव, ब्राण्ड मूल्य, बाजार शेयर अथवा इसी प्रकार के अमूर्त अधिकार;

- (vi) किसी वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में ऋण दिए जाने से ही उत्पन्न होने वाले धनराशि के दावे;
- (vii) किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा माध्यस्थ कार्यवाही में मांगा गया अथवा प्राप्त आदेश या निर्णय;
- (viii) धनराशि का कोई अन्य दावा जिसमें इस करार में निवेश की परिभाषा में निर्धारित हित अथवा प्रचालनों का कोई रूप शामिल नहीं है।

1.4 "निवेशक" का अर्थ है शाखा अथवा प्रातिनिधिक कार्यालय से इतर, पक्षकार का कोई देशजात या न्यायिक व्यक्ति, जिसने दूसरे राज्य क्षेत्र में निवेश किया है; इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ, "न्यायिक व्यक्ति" का अर्थ है:

- (क) ऐसा विधिक निकाय जो उस राज्य क्षेत्र के कानून के अंतर्गत गठित, संगठित और प्रचालित हो और जिसके उस राज्यक्षेत्र में पर्याप्त व्यावसायिक कार्यकलाप हों; अथवा
- (ख) ऐसा विधिक निकाय जो उस राज्य क्षेत्र के कानून के अंतर्गत गठित, संगठित और प्रचालित हो और जो उस राज्य क्षेत्र के देशजात व्यक्ति अथवा इसमें उप पैराग्राफ (क) में उल्लिखित विधिक निकाय के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन हो।

1.5 "स्थानीय प्राधिकरण" में (क) शहरी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण, नगर निगम निकाय अथवा ग्राम स्तर का निकाय; अथवा (ख) किसी शहरी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण, नगर निगम निकाय अथवा ग्राम स्तर के निकाय के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन कोई उद्यम शामिल है।

1.6 "उपाय" में ये शामिल होंगे - कानून, विनियम, नियम, प्रक्रिया, निर्णय, प्रशासनिक कार्रवाई, अपेक्षा अथवा परिपाटी।

1.7 "निवेश पूर्व कार्यकलाप" में ऐसे कार्यकलाप शामिल हैं जो निवेशक अथवा इसके उद्यम द्वारा उस राज्य क्षेत्र, जहां निवेश किया गया है, के कानून के अनुसार, निवेश की स्थापना से पूर्व किए गए हों। निवेशक अथवा उसके निवेश द्वारा विदेशी इक्विटी पर क्षेत्रीय सीमाओं के अनुपालन में और उस राज्य क्षेत्र, जहां विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश किया गया है, में किए गए निवेश के आगम से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य सीमाओं और शर्तों के अनुपालन में किए गए कार्यकलाप भी निवेश-पूर्व कार्यकलाप में शामिल होंगे।

1.8 "क्षेत्रीय प्राधिकरण" का अर्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर किसी प्राधिकरण से है किन्तु इसमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल नहीं होता है।

1.9 पक्षकारों के संबंध में "राज्य-क्षेत्र" के अर्थ में इसका सीमांतर्गत जल क्षेत्र और सीमांतर्गत जल क्षेत्र से आगे स्थित कोई ऐसा समुद्री क्षेत्र शामिल है जिस पर पक्षकारों के

- संबंधित राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय कानून और इसके प्रासंगिक कानूनों के अनुसार अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।
- 1.10 'डब्ल्यूटीओ करार' का अर्थ है 15 अप्रैल, 1994 को मराकश में निष्पादित विश्व व्यापार संगठन स्थापित करने से संबंधित मराकश करार।
- 1.11 इस करार में शामिल अनुबंध, परन्तुक और पाद टिप्पणियां इस करार का अभिन्न अंग हैं और इन्हें इस करार में शामिल अन्य उपबंधों की तरह ही समान प्रभाव दिया जाना है।

## अनुच्छेद 2

### कार्यक्षेत्र और सामान्य उपबंध

- 2.1 यह करार उस राज्य क्षेत्र में, जिसमें निवेश किया गया है, अपने राज्य क्षेत्र में दूसरे पक्षकार के निवेशकों के निवेशों से संबंधित अपनाए गए अथवा अनुरक्षित उपायों पर लागू होगा, जो इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान थे अथवा उस तारीख के बाद स्थापित, अर्जित अथवा विस्तारित किए गए हों, और जिन्हें राज्य क्षेत्र में इसके कानून, विनियमों और नीतियों के अनुसार स्वीकृत किया गया हो।
- 2.2 इस करार के अध्याय-III के उपबंधों के अध्यधीन, इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी निवेश की स्थापना, अर्जन अथवा विस्तार से संबंधित किसी निवेश-पूर्व कार्यकलाप पर लागू होता हो अथवा किसी ऐसे निवेश-पूर्व कार्यकलाप से संबंधित किसी उपाय पर लागू होता हो, इनमें ऐसे उपाय के अंतर्गत निबंधन और शर्तें शामिल हैं जो ऐसे निवेशों के प्रबंधन, संचालन, प्रचालन, बिक्री अथवा अन्य व्यवस्था के संबंध में निवेश के बाद लागू होना जारी हों।
- 2.3 यह करार, इसके प्रवृत्त होने से पूर्व हुई घटनाओं से उत्पन्न दावों, अथवा किए गए दावों पर लागू नहीं होगा।
- 2.4 यह करार, निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:
- (क) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उठाया गया कोई कदम;
  - (ख) कराधान से संबंधित कोई कानून या उपाय, इसमें कराधान संबंधी देनदारी को लागू करने के लिए किए गए उपाय भी शामिल हैं।
- अधिक निश्चित जानकारी देने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, का प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि इस करार के अंतर्गत इसके दायित्वों के उल्लंघनस्वरूप किया गया कोई आचरण कराधान का विषय है, तो ऐसा निर्णय, भले ही वह माध्यस्थम कार्यवाहियों की शुरुआत से पहले अथवा बाद में किया गया हो, न्यायाधीन नहीं होगा और ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए यह किसी माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
- (ग) बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में प्रदान किए गए अनिवार्य लाइसेंसों का जारी किया जाना, अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन अथवा उन्हें सीमित करने अथवा रद्द करने पर, उसी हद तक जिस तक लाइसेंसों का जारी किया



जाना, रद्द किया जाना, निरसन, सीमित किया जाना अथवा सृजन, डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत पक्षकारों के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हो।

- (घ) किसी राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा खरीद;
- (ङ) किसी राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी अथवा अनुदान;
- (च) राज्य क्षेत्र के प्रासंगिक निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार का प्रयोग करते हुए दी गई सेवाएं। इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, सरकारी प्राधिकार का प्रयोग करते हुए दी गई सेवा का अर्थ है ऐसी कोई भी सेवा जो वाणिज्यिक आधार पर न दी गई हो।

## अध्याय-11 : राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों के दायित्व

### अनुच्छेद-3

#### निवेशों के साथ व्यवहार

- 3.1 निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के साथ उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित के जरिए ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा जो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता हो:
- (क) किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक कार्यवाही में न्याय न करना; अथवा
  - (ख) विधिवत प्रक्रिया का बुनियादी उल्लंघन; अथवा
  - (ग) अनुचित आधार, जैसे कि लिंग, नस्ल अथवा धार्मिक विश्वास के आधार पर स्पष्ट रूप से लक्षित भेद-भाव; अथवा
  - (घ) स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार जैसे कि जोर-जबरदस्ती करना, दबाव डालना और परेशान करना।
- 3.2 प्रत्येक राज्य क्षेत्र दूसरे राज्य क्षेत्र के निवेशों को तथा निवेशकों को उनके निवेशों के संबंध में अपने राज्यक्षेत्र में पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करेगा। अधिक निश्चितता के लिए "पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा" का अर्थ केवल दूसरे राज्य क्षेत्र के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों को तथा निवेशकों की शारीरिक सुरक्षा से संबंधित पक्षकार के दायित्वों के संबंध में राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों को लेकर ही है और इसका अर्थ किसी अन्य प्रकार के दायित्व से नहीं है।
- 3.3 कोई ऐसा विचार कि इस करार के किसी अन्य उपबंध अथवा किसी पृथक अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन हुआ है, यह सिद्ध नहीं करता है कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है।
- 3.4 इस अनुच्छेद के कथित उल्लंघन पर विचार करते हुए, माध्यस्थ अधिकरण इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या निवेशक अथवा, जैसा भी उपयुक्त हो, स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम ने इस करार के अंतर्गत दावा शुरू करने से पहले समाधान ढूंढने के लिए देशीय न्यायालयों अथवा अधिकरणों के समक्ष कार्रवाई की थी या नहीं।



#### अनुच्छेद-4

##### भेदभाव न किया जाना

- 4.1 दूसरे राज्य क्षेत्र के निवेशकों द्वारा किए गए निवेश अथवा निवेशकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो समान परिस्थितियों में, इसके अपने निवेशकों को अथवा ऐसे निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों को, इसके राज्यक्षेत्र में निवेशों के प्रबंधन, संचालन, प्रचालन, बिक्री अथवा व्यवस्था के संबंध में किए गए व्यवहार से कम अनुकूल हो।
- 4.2 अनुच्छेद 4.1 के अंतर्गत पक्षकार द्वारा किया गया व्यवहार, क्षेत्रीय प्राधिकरण के संबंध में, ऐसा व्यवहार होगा जो, समान परिस्थितियों में, उस क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा, उस राज्य क्षेत्र जिसका वह एक भाग है, के निवेशकों, तथा निवेशकों के निवेशों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा।

#### अनुच्छेद-5

##### स्वामित्वहरण

- 5.1 दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवेशक के निवेश का प्रत्यक्षतः या ऐसे उपायों के जरिए राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण नहीं कर सकेगा जिनका प्रभाव राष्ट्रीयकरण अथवा स्वामित्वहरण (जिन्हें इसके बाद स्वामित्वहरण कहा गया है), के समकक्ष हो, सिवाय तब जब यह कानून की विधिवत प्रक्रिया के अनुसार जनहित में हो तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने के प्रति हो। ऐसी क्षतिपूर्ति पर्याप्त होगी और स्वामित्वहरण से तत्काल पूर्व या स्वामित्वहरण के सार्वजनिक होने की तिथि से तुरंत पूर्व ("स्वामित्वहरण की तारीख"), जो भी पहले हो, स्वामित्वहरण निवेश के उचित बाजार मूल्य के समकक्ष होगी, और इस कारण कि आशयित स्वामित्वहरण का पता पहले चल गया था, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाएगी। मूल्यांकन मापदंड में सतत प्रासंगिक मूल्य, वास्तविक संपत्ति के घोषित कर मूल्य सहित आस्ति मूल्य और उचित बाजार मूल्य, को निर्धारित करने के लिए, यथा उचित, अन्य मापदंड शामिल होंगे।
- 5.2 क्षतिपूर्ति का संदाय मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा। क्षतिपूर्ति के संदाय पर ब्याज, जहां लागू हो, स्वामित्वहरण की तारीख से वास्तविक संदाय की तारीख तक वाणिज्यिक रूप से वाजिब साधारण ब्याज दर से प्रदत्त होगा। संदाय पर, क्षतिपूर्ति अनुच्छेद 6 [अंतरण] के अनुरूप मुक्त रूप से अंतरणीय होगी।
- 5.3 पक्षकार अपनी साझा की गई समक्ष की पुष्टि करते हैं कि:
- क) स्वामित्वहरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकेगा:

i). प्रत्यक्ष स्वामित्वहरण होता है, जब कोई निवेश हक या सीधी जब्ती के औपचारिक अंतरण के जरिए राष्ट्रीयकृत या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वहरित हो गया है; और

ii). अप्रत्यक्ष स्वामित्वहरण होता है, यदि किसी राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों के किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला का प्रत्यक्ष स्वामित्वहरण के समकक्ष प्रभाव हो, जिसमें यह हक या सीधी जब्ती के औपचारिक अंतरण के बिना, निवेशक को इसके निवेश की संपत्ति के मूलभूत गुणधर्मों से सारभूत रूप से या स्थायी रूप से वंचित करे, जिसमें इसके निवेश का प्रयोग करना, लाभ लेना और निपटान शामिल है।

ख) इस बात का निर्धारण करने के लिए कि किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला का प्रभाव स्वामित्वहरण के समकक्ष है या नहीं, मामला-दर-मामला, तथ्य आधारित पूछताछ अपेक्षित होगी, जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

(i) उपाय या उपायों की श्रृंखला का आर्थिक प्रभाव, यद्यपि मात्र यह तथ्य कि किसी पक्षकार के किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला का किसी निवेश के आर्थिक मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा, यह साबित नहीं करता है कि कोई अप्रत्यक्ष स्वामित्वहरण हुआ है;

(ii) राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों के किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला की अवधि;

(iii) उपाय या उपायों की श्रृंखला के गुण, उल्लेखनीय रूप से उद्देश्य, संदर्भ और आशय; और

(iv) क्या राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा किया गया कोई उपाय निवेशक से लिखित रूप में की गई पूर्व बाध्यकारी प्रतिबद्धता का संविदा, लाइसेंस या अन्य विधिक दस्तावेज द्वारा उल्लंघन करता है।

5.4 संदेह को दूर करने के लिए, राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा अपनी वाणिज्यिक क्षमता में की गई कोई कार्रवाई स्वामित्वहरण या समरूप प्रभाव रखने वाला कोई अन्य उपाय नहीं होगा।

5.5 राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा किए गए भेदभाव-रहित विनियामक उपाय या किसी राज्य क्षेत्र के न्यायिक निकायों द्वारा किए गए उपाय अथवा पंचाट जो नामनिर्दिष्ट हैं और जन-स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विधिसंगत जनहित अथवा लोक प्रयोजन उद्देश्यों को संरक्षित करने के लिए लागू किए जाते हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वामित्वहरण नहीं होंगे।

5.6 इस अनुच्छेद के किसी अभिकथित उल्लंघन पर विचार करते समय, कोई अधिकरण इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या निवेशक या, जैसा उपयुक्त हो, स्थानीय रूप से स्थापित किए गए उदयम ने, इस करार के अंतर्गत कोई दावा करने से पूर्व, घरेलू न्यायालय या अधिकरणों के समक्ष उपचारों के लिए कार्रवाई की है।

## अनुच्छेद-6

### अंतरण

6.1 राज्य क्षेत्र की विधि के अध्यक्ष, राज्यक्षेत्र में किसी निवेश से संबंधित अन्य दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवेशक की सभी निधियों के मुक्त रूप से और भेदभावहित आधार पर अंतरण की अनुमति होगी। ऐसी निधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) पूंजी में अंशदान;
- (ख) लाभ, लाभांश, पूंजी लाभ और निवेश के सभी अथवा इसके किसी भाग की बिक्री से अथवा निवेश के आंशिक अथवा संपूर्ण परिसमापन से प्राप्त आय;
- (ग) ब्याज, स्वत्व (रॉयल्टी) संदाय, प्रबंधन शुल्क और तकनीकी सहायता तथा अन्य शुल्क;
- (घ) किसी ऋण करार सहित किसी संविदा के अंतर्गत किए गए संदाय;
- (ङ) अनुच्छेद 5 (स्वामित्वहरण), अनुच्छेद 7 (हानियों की क्षतिपूर्ति) और अध्याय IV के अंतर्गत किए गए संदाय।

6.2 जब तक कि पक्षकारगण के बीच अन्यथा सहमति न हो, अनुच्छेद 6.1 के अंतर्गत मुद्रा अंतरण मूल निवेश की मुद्रा या किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में अनुमत होगा। ऐसा अंतरण, अंतरण की तारीख को मुद्रा विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर किया जाएगा।

6.3 इस करार की कोई भी बात राज्य क्षेत्रके प्राधिकरणों को अपनी विधि के सद्भावपूर्ण प्रयोग के जरिए किसी अंतरण पर शर्त लगाने या रोकने से निषेध नहीं करेगी, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित कार्रवाइयां भी शामिल होंगी:

- (क) दिवालियापन, शोधन अक्षमता या ऋणदाताओं के अधिकारों का संरक्षण;
- (ख) न्यायिक, माध्यस्थम् या प्रशासनिक निर्णयों और पंचाटों का अनुपालन;
- (ग) श्रम बाध्यताओं का अनुपालन;
- (घ) वित्तीय रिपोर्टिंग या अंतरणों का अभिलेख रखना जब विधि प्रवर्तन या वित्तीय विनियामक प्राधिकरणों की सहायता करना आवश्यक हो;
- (ङ) पतिभूतियों, वायदा, विकल्पों या व्युत्पन्नों में निर्गमन, कारोबार या लेन-देन;
- (च) कराधान संबंधी विधि का अनुपालन;
- (छ) आपराधिक या दांडिक अपराध और अपराध की अधिप्राप्तियों की वसूली;
- (ज) सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक निवर्तन या अनिवार्य बचत योजनाएं जिनमें अविविध निधियां, सेवानिवृत्ति उपदान कार्यक्रम और कर्मचारी बीमा कार्यक्रम शामिल हैं;
- (झ) कर्मचारियों के पृथक्करण अधिकार;
- (ञ) पंजीकरण की अपेक्षा और किसी पक्षकार के सेंट्रल बैंक और अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा अधिरोपित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना; और



(द) आईटीए के मामले में, प्रारंभिक पूंजी निवेशों के लॉक-इन की अपेक्षाएं, भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में यथा उपबंधित, जहां लागू हों, बशर्ते, कोई नया उपाय जिसके लिए निवेशों हेतु लॉक-इन अवधि अपेक्षित हो, मौजूदा निवेशों पर लागू नहीं होंगी।

6.4 अनुच्छेद 6.1 और 6.2 के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, राज्य क्षेत्र का कोई प्राधिकरण गंभीर भुगतान संतुलन की कठिनाइयों या उसकी आशंका के मामले में अथवा ऐसे मामलों में जहां, अपवादात्मक परिस्थितियों में, पूंजी का लेन-देन बृहद आर्थिक प्रबंधन, विशेष रूप से मौद्रिक और मुद्रा विनिमय दर नीतियों के लिए गंभीर कठिनाइयों का कारण बने अथवा कारण बनने की आशंका व्यक्त करता हो, अंतरणों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकेगा।

#### अनुच्छेद 7 हानियों की क्षतिपूर्ति

एक राज्य क्षेत्र के निवेशकों के ऐसे निवेशों को दूसरे राज्यक्षेत्र में युद्ध या अन्य सशस्त्रसंघर्ष, नृह उपद्रवों अथवा राष्ट्रीय आपातस्थिति के कारण हुई हानियों के संबंध में, जहां तक प्रत्यास्थापन, क्षतिपूर्ति, मुआवजे या अन्य निपटान का संबंध है, ऐसा व्यवहार किया जाएगा जो उक्त व्यवहार से किसी भी तरह कम अनुकूल नहीं होगा जिसे बाद वाले राज्य क्षेत्र के प्राधिकरण अपने स्वयं के निवेशकों अथवा किसी पक्षकार-भिन्न राज्य क्षेत्र के निवेशकों के साथ करेंगे। परिणामी संदाय मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे।

#### अनुच्छेद 8 प्रत्यासन

8.1 यदि किसी राज्य क्षेत्र का कोई प्राधिकरण या इसका नामनिर्दिष्ट अभिकरण अपने किसी निवेशक को किसी गारंटी या किसी निवेश के संबंध में इसके द्वारा की गई बीमा सविज्ञ के अंतर्गत संदाय करता है, तो दूसरे राज्य क्षेत्र में निवेशक द्वारा धारित किसी अधिकार या हक के प्रत्यासन की वैधता को ऐसे प्राधिकरण या अभिकरण के पक्ष में मान्यता दी जाएगी।

8.2 किसी राज्य क्षेत्र का कोई प्राधिकरण या इसका नामनिर्दिष्ट अभिकरण जिसने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुरूप किसी निवेशक के अधिकारों का प्रत्यासन किया है, सभी परिस्थितियों में ऐसे सभी अधिकारों का हकदार होगा, जो निवेशक के पास निवेश के संबंध में हैं। पक्षकार या उसके किसी अभिकरण द्वारा प्राधिकृत किए जाने के मामले में, ऐसे अधिकारों का प्रयोग उक्त प्राधिकरण या इसके लिए उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण, अथवा प्राधिकृत निवेशक द्वारा किया जा सकेगा।



**अनुच्छेद 9**  
**कार्मिकों का प्रवेश और अवस्थान**

राज्य क्षेत्रों में गैर-नागरिकों के प्रवेश और अवस्थान से संबंधित विधियों के अध्यक्षीन और आपसी आधार पर, राज्य क्षेत्रका प्राधिकरण निवेश से सहबद्ध कार्यकलापों में लगे रहने के प्रयोजन से अपने राज्यक्षेत्र में निवेशक या स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम द्वारा नियोजित दूसरे राज्य क्षेत्र के प्राकृतिक व्यक्तियों के प्रवेश और रहने को अनुमत करेगा।

**अनुच्छेद 10**  
**पारदर्शिता**

10.1 प्रत्येक पक्षकार, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी विधियां, विनियमन, प्रक्रियाएं और इस करार में शामिल किए गए किसी विषय के संबंध में साधारण प्रयोग किए जाने वाले प्रशासनिक विनिर्णय शीघ्र प्रकाशित किए जाएं या अन्यथा ऐसे तरीके से उपलब्ध कराए जाएं ताकि इच्छुक व्यक्ति और अन्य पक्षकार उनसे अवगत होने में समर्थ हो सकें।

10.2 प्रत्येक पक्षकार अपने राज्य क्षेत्र में अपनी विधियों और विनियमों में यथाउपबंध किए गए अनुसार:  
(क) किसी ऐसे उपाय को प्रकाशित करेगा जिसे यह अंगीकार करने का प्रस्ताव करता है;  
और  
(ख) इच्छुक व्यक्तियों तथा अन्य पक्षकार को ऐसे प्रस्तावित उपायों पर टिप्पणियां करने के उचित अवसर प्रदान करेगा।

10.3 प्रत्येक पक्षकार, अन्य पक्षकार के अनुरोध पर, विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर शीघ्र देगा और अनुच्छेद 10.1 में संदर्भित मामलों के संबंध में अन्य पक्षकार को सूचना प्रदान करेगा।

10.4 इस करार की किसी भी बात के लिए, किसी पक्षकार को ऐसी कोई गुप्त सूचना प्रदान करना या इसकी प्राप्ति को अनुमत करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसके प्रकटन से विधि प्रकटन में अवरोध आए, या जो अन्यथा लोक हित के विरुद्ध हो या विशिष्ट, सरकारी या निजी, विधिक व्यक्तियों के विधिसंगत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

### अध्याय III - निवेशक संबंधी बाध्यताएं

#### अनुच्छेद-11

#### विधियों का अनुपालन

पक्षकार अभिपुष्टि करते हैं और मान्यता देते हैं कि:

- (क) निवेशक और उनके निवेश, निवेशों की स्थापना, अर्जन, प्रबंधन, प्रचालन और व्ययन से संबंधित किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र की सभी विधियों, विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रशासनिक दिशानिर्देशों और नीतियों का अनुपालन करेंगे।
- (ख) निवेशक और उनके निवेश, किसी निवेश की स्थापना से पूर्व या पश्च, किसी सरकारी कार्य को करने या प्रविरत करने अथवा अन्य अनुचित लाभ हासिल करने या बनाए रखने के लिए किसी उत्प्रेरणा या इनाम के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी या किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के कर्मिक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई अनुचित मौद्रिक लाभ, पारितोषिक अथवा उपहार, जो भी हो, का प्रस्ताव, वायदा या प्रदान नहीं करेंगे और न ही ऐसे कार्य करने के लिए उद्दीप्त, सहायता, उत्तेजित अथवा षड्यंत्र करने का सह-अपराध करेंगे।
- (ग) निवेशक और उनके निवेश अपनी कर देयताओं के समयबद्ध संदाय सहित, कराधान के संघ में पक्षकारों की विधि के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
- (घ) कोई भी निवेशक प्रश्नगत निवेश और निवेशक के कारपोरेट इतिहास और परिपाटियों के संबंध में, उस निवेश के संबंध में निर्णय लेने के प्रयोजनों या केवल सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए, राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों को यथा अपेक्षित सूचना देगा।

#### अनुच्छेद-12

#### कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रत्येक राज्यक्षेत्र के भीतर कार्यरत निवेशक और उनके उद्यम अपनी परिपाटियों तथा आंतरिक नीतियों, जैसेकि सैद्धांतिक वक्तव्य, जो राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित अथवा समर्थन प्राप्त हों, में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त मानकों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने का प्रयास करेंगे। इन सिद्धांतों से श्रम, पर्यावरण, समाजिक, सामुदायिक संबंधों और भ्रष्टाचार-रोध जैसे मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा।

**अध्याय-IV**  
**निवेश से संबंधित विवादों का निपटान**

**अनुच्छेद-13**  
**कार्यक्षेत्र और परिभाषाएं**

- 13.1 अध्याय V के अंतर्गत राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों के अधिकारों और बाध्यताओं पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, यह अध्याय किसी निवेशक और दूसरे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के बीच विवादों के निपटान के लिए तंत्र की स्थापना करता है।
- 13.2 यह अध्याय केवल राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों और दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवेशक के बीच इसके निवेश के संबंध में, इस करार के अनुच्छेद 9 [कार्मिकों की प्रविष्टि और अवस्थान] और अनुच्छेद 10 [पारदर्शिता] के अंतर्गत बाध्यताओं को छोड़कर, इस करार के अध्याय II के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों की किसी बाध्यता के अभिकथित उल्लंघन से उद्भूत किसी विवाद पर लागू होगा।
- 13.3 इस अध्याय के अंतर्गत स्थापित माध्यस्थ अधिकरण केवल, इस करार के अनुच्छेद 9 [कार्मिकों की प्रविष्टि और अवस्थान] और अनुच्छेद 10 [पारदर्शिता] के अलावा, अध्याय II में यथा-वर्णित इस करार के उल्लंघन के संबंध में दावों का निर्णय करेगा न कि मात्र राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों तथा किसी निवेशक के बीच किसी संविदा के अभिकथित उल्लंघन से उद्भूत विवादों का निर्णय करेगा। ऐसे विवादों का समाधान केवल घरेलू न्यायालयों द्वारा या प्रासंगिक संविदा में दिए गए विवाद समाधान उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- 13.4 कोई भी निवेशक इस अध्याय के अंतर्गत माध्यस्थ को दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, यदि निवेश कपटपूर्ण दुर्यपदेशन, छुपाकर, भ्रष्टाचार, धन शोधन या प्रक्रिया के किसी दुरुपयोग की कोटि में आने वाले आचरण अथवा समरूप गैर-कानूनी तंत्रों के जरिए किया गया हो।
- 13.5 इसके क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य सीमाओं के अतिरिक्त, इस अध्याय के अंतर्गत स्थापित किसी माध्यस्थ अधिकरण का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित पर नहीं होगा :
- (क) राज्य क्षेत्र के किसी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय के गुणावगुण की समीक्षा; या
  - (ख) ऐसा कोई दावा स्वीकार करना, जो अध्याय V के अंतर्गत किसी माध्यस्थ के अधधीन हो या रहा हो।
- 13.6 किसी निवेशक और राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद इस अध्याय के समरूप समबद्ध रूप से चलेगा।
- 13.7 इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए :

- (क) "प्रतिवादी पक्षकार" से राज्य क्षेत्र के ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत हैं जिनके विरुद्ध इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई दावा किया गया है।
- (ख) "विवादकारी पक्षकार" से कोई प्रतिवादी पक्षकार या कोई विवादकारी निवेशक अभिप्रेत है।
- (ग) "विवादकारी पक्षकारगण" से कोई विवादकारी निवेशक और कोई प्रतिवादी पक्षकार अभिप्रेत है।
- (घ) "विवादकारी निवेशक" से राज्य क्षेत्र का कोई ऐसा निवेशक से अभिप्रेत है जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी ओर से दूसरे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई दावा करता है तथा जहां प्रासंगिक हो, किसी राज्य क्षेत्र का ऐसा कोई निवेशक शामिल है जो स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम की ओर से कोई दावा करता है।
- (ङ) "गैर-विवादकारी पक्षकार" से इस करार से संबंधित राज्य क्षेत्र के ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत हैं जो इस करार के अध्याय IV के अंतर्गत विवाद में कोई पक्षकार नहीं हैं।
- (च) "यूएनसीआईटीआरएएल आर्बिट्रेशन रूल्स" से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग के माध्यस्थम नियम अभिप्रेत हैं।
- (छ) "न्यूयार्क अभिसमय" से विदेशी माध्यस्थम संबंधी पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन पर 10 जून, 1958 को न्यूयार्क में किया गया संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अभिप्रेत है।
- (ज) "आईसीसी आर्बिट्रेशन रूल्स" से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यस्थम नियम, 1 जनवरी, 2012 से प्रवृत्त और तत्पश्चात संशोधित, अभिप्रेत हैं।

#### अनुच्छेद 14

#### विभिन्न अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत कार्यवाहियां

इस अध्याय के तहत कार्यवाहियां इस अध्याय और अन्य अंतरराष्ट्रीय करार के अनुसरण में लाया जाता है और :

- (क) अतिव्यापी क्षतिपूर्ति की संभावना रहती है; या
  - (ख) अन्य अंतरराष्ट्रीय दावे का इस अध्याय के अनुसरण में लाए गए दावे के समाधान पर गंभीर असर पड़ सकता है;
- इस अध्याय के तहत गठित माध्यस्थ अधिकरण विवादकारी पक्षकारों को सुनने के बाद यथाशीघ्र अपनी कार्यवाहियां स्थगित करेगा या अन्यथा यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अंतरराष्ट्रीय करार के अनुसरण में की गई कार्यवाहियों का इसके निर्णय, आदेश या पंचाट में ध्यान रखा जाता है।

#### अनुच्छेद 15

#### माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति के लिए पूर्ववर्ती शर्तें



15.1 ऐसे दावे कि प्रतिवादी पक्षकार ने अध्याय-II के तहत, अनुच्छेद 9[कार्मिकों की प्रविष्टि और अवस्थान] और अनुच्छेद 10[पारदर्शिता] के तहत किसी बाध्यता से भिन्न बाध्यता का उल्लंघन किया है, के मामले में विवादकारी निवेशक प्रतिवादी पक्षकार को परामर्श और वार्ताओं के लिए लिखित अनुरोध ("लिखित अनुरोध") संप्रेषित करके इस अध्याय के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

15.2 लिखित अनुरोध में विवादकारी निवेशक या उद्यम, जहां लागू हो, का नाम-पता विनिर्दिष्ट होगा; मुद्दे के उपायों सहित दावे के तथ्यपरक आधार को स्पष्ट किया जाएगा; अभिकथित करार भंगसे संबंधित उपबंध और अन्य संगत उपबंध विनिर्दिष्ट किए जाएंगे; प्रार्थित राहत और दावा किए गए हर्जाने के लिए समुचित धनराशि विनिर्दिष्ट की जाएगी; और यह प्रमाणित कर रहा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा कि विवादकारी निवेशक अन्य पक्षकार के राज्य क्षेत्र का निवेशक है।

15.3 लिखित अनुरोध की प्राप्ति के बाद छः (6) महीने के अंदर विवादकारी पक्षकार सार्थक परामर्श, वार्ता या अन्य तृतीय पक्षकार की कार्यप्रणाली के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद के समाधान की कोशिश के बेहतरीन प्रयत्न करेंगे। ऐसे सभी मामलों में इस प्रकार की वार्ता, परामर्श या समाधान का स्थान वह राज्य क्षेत्र होगा जिसमें निवेश किया गया है।

15.4 यदि विवादकारी पक्षकारण विवाद का सौहार्दपूर्वक समाधान नहीं कर सकते हैं तो विवादकारी निवेशक इस करार के अनुसरण में माध्यस्थता हेतु कोई दावा तभी प्रस्तुत करेगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं :

- (क) किसी विवादकारी निवेशक को उसी उपाय या समान तथ्यगत मामलों, जिनके संबंध में इस करार के उल्लंघन का दावा किया गया है, के संबंध में घरेलू राहतें प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अपना दावा उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, में प्रासंगिक घरेलू न्यायालयों या प्रशासनिक निकायों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उपर्युक्त प्रासंगिक घरेलू न्यायालयों या प्रशासनिक निकायों के समक्ष ऐसा दावा उस तारीख से एक(1) वर्ष और छः(6) माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसको निवेशक को पहली बार प्रश्नगत उपाय की जानकारी प्राप्त हुई हो और इस बात का पता चला हो कि इसके परिणामस्वरूप निवेश और इसके निवेश के संबंध में निवेशक को हानि या नुकसान हुआ था। और अधिक निश्चितता के लिए, स्थानीय राहतों को आजमाने के संबंध में बाध्यता का अनुपालन प्रदर्शित करने में, निवेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय राहतों को आजमाने की बाध्यता लागू नहीं होती है या इस आधार पर पूरी कर ली गई है कि इस करार के तहत दावा किसी भिन्न पक्षकार या भिन्न कार्रवाई के उद्देश्य के संबंध में है। परंतु, यह कि तथापि, स्थानीय राहतों को आजमाने की अपेक्षा लागू नहीं होगी यदि निवेशक या स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम यह प्रदर्शित

- करता है कि उपलब्ध कोई भी घरेलू कानूनी राहत उसी उपाय या उसी प्रकार के तथ्यगत मामलों, जिनके संबंध में निवेशक द्वारा इस करार के उल्लंघन का दावा किया गया है, के संबंध में उचित रूप से कोई राहत प्रदान करने में समर्थ नहीं है।
- (ख) जहां लागू हो, यदि, दावे के संबंध में अंतर्निहित उपाय से संबंधित सभी न्यायिक और प्रशासनिक उपचारों को उस तारीख, जिसको निवेशक को पहली बार प्रश्नगत उपाय की जानकारी प्राप्त हुई हो, से कम से कम चार(4) वर्ष की अवधि तक आजमाने के बाद निवेशक को कोई संतोषप्रद समाधान प्राप्त न हुआ हो।
- (ग) उस तारीख से पांच(5) वर्ष और छः(6) माह से अधिक समय व्यतीत न हुआ हो जिसको विवादकारी निवेशक को पहली बार प्रश्नगत उपाय की जानकारी प्राप्त हुई हो और इस बात का पता चला हो कि इसके परिणामस्वरूप विवादकारी निवेशक को अपने निवेश के संबंध में हानि या नुकसान हुआ था।
- (घ) जहां लागू हो, उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसरण में घरेलू कार्यवाहियों के निष्कर्ष से बारह(12) माह से अधिक की अवधि व्यतीत न हुई हो।
- (ङ) विवादकारी निवेशक या स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम ने किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के कानून, या अन्य विवाद समाधान क्रियाविधि के तहत, अनुच्छेद 13.2 में उल्लिखित करार भंग के आरोपी प्रतिवादी पक्षकार को साधने की किसी प्रशासनिक अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही को शुरू करने या उसे जारी रखने का अपना अधिकार छोड़ दिया हो।
- (च) अप्रत्यक्ष निवेश के मामले में, कोई विवादकारी निवेशक अध्याय IV के तहत कोई दावा तभी कर सकेगा, यदि विवादकारी निवेशक और किसी दूसरे राज्य क्षेत्र का विधिक निकाय जिसके जरिए निवेश किया गया है, दोनों प्रतिवादी पक्षकार, जो अनुच्छेद 13.2 के संदर्भ में उल्लंघन का आरोपी है, के उपाय, किसी दूसरे निवेश करार सहित, के संबंध में किसी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने के अपने अधिकार का अधित्याग कर दें। विवादकारी निवेशक और किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के विधिक निकाय, जिसके जरिए निवेश किया गया है, ऐसे अधित्याग विवादकारी पक्षकार को लिखित में उपलब्ध कराएगा।
- (छ) अप्रत्यक्ष निवेश के मामले में, इस अध्याय के तहत कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा यदि विवादकारी निवेशक या किसी दूसरे राज्य क्षेत्र का विधिक निकाय, जिसके जरिए निवेश किया गया है, किसी कार्यवाही, किसी अन्य निवेश करार के अधीन सहित, के अधीन उसी उपाय या उपायों की श्रृंखलाओं के संबंध में दावा प्रस्तुत करता है या कर चुका हो।

- (ज) जहां विवादकारी निवेशक द्वारा प्रस्तुत दावा अन्य पक्षकार अर्थात् ऐसे न्यायिक व्यक्ति के राज्य क्षेत्र, जो विवादकारी निवेशक के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो, के उद्यम में किसी हित के नुकसान या हर्जाने से संबंधित हो, वहां उस उद्यम ने किसी पक्षकार के विधान या अन्य विवाद समाधान क्रियाविधि के तहत किसी प्रशासनिक अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही को अनुच्छेद 13.2 में उल्लिखित करार भंग के आरोपी प्रतिवादी पक्षकार को साधने की कार्यवाही शुरू करने या उसे जारी रखने का अपना अधिकार छोड़ दिया हो।
- (झ) माध्यस्थम के लिए कोई दावा प्रस्तुत करने से कम से कम 90 दिन पूर्व विवादकारी निवेशक ने प्रतिवादी पक्षकार को माध्यस्थम हेतु दावा ("माध्यस्थम का नोटिस") प्रस्तुत करने का अपना आशय लिखित नोटिस के रूप में प्रेषित कर दिया हो। माध्यस्थम के नोटिस में :
- (i) प्रतिवादी पक्षकार को लिखित अनुरोध और इसके संप्रेषण के ब्यौरे सहित प्रेषण का अभिलेख संलग्न होगा;
  - (ii) विवादकारी निवेशक द्वारा या जहां लागू हो, वहां स्थानीय स्तर पर स्थापित उद्यम द्वारा इस करार में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार माध्यस्थम की सहमति वर्णित होगी।
  - (iii) अनुच्छेद 15.4 (ड),(च),(छ)या (ज) के अधीन यथा अपेक्षित, जहां लागू हो, अधित्याग का वर्णन होगा; बशर्ते कि अनुच्छेद अनुच्छेद 15.4 (ड), (च), (छ)या (ज)के अधीन उद्यम से अधित्याग तभी अपेक्षित नहीं होगा जब प्रतिवादकारी पक्षकार ने विवादकारी निवेशक को किसी उद्यम के नियंत्रण से वंचित कर दिया हो;
  - (iv) विवादकारी निवेशक द्वारा नियुक्त माध्यस्थ का नाम विनिर्दिष्ट होगा।

#### अनुच्छेद 16 माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति

16.1 अनुच्छेद 15 [माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति के लिए पूर्ववर्ती शर्तों]में वर्णित पूर्व शर्तों को पूरा करने वाला विवादकारी निवेशक माध्यस्थम हेतु दावे को निम्नलिखित को प्रस्तुत कर सकेगा :

- क) अन्साइटल आर्बिट्रेशन रूल्स; या
- ख) कोई अन्य माध्यस्थम नियमावली, आईसीसी आर्बिट्रेशन रूल्स सहित, यदि विवादकारी पक्षकारगण आपस में सहमत हों।

16.2 प्रगोत्रा माध्यस्थम नियमावली इस अध्याय द्वारा संशोधित सीमा तक, और पक्षकारों द्वारा अंगीकृत किन्हीं अनुवर्ती नियमों द्वारा अनुपूरित अंश को छोड़कर, माध्यस्थम को अभिशासित करेगी।

16.3 इस अध्याय के तहत माध्यस्थम के लिए दावा प्रस्तुत किया जाता है जब अन्साइट्रल माध्यस्थम नियमावली के तहत दिया गया माध्यस्थम नोटिस प्रतिवादी पक्षकार को प्राप्त होता है।

16.4 किसी पक्षकार को नोटिस और अन्य प्रलेख की सुपुर्दगी प्रत्येक पक्षकार के पदनामित प्रतिनिधि को की जाएगी।

#### अनुच्छेद 17

##### माध्यस्थों की नियुक्ति

17.1 माध्यस्थ अधिकरण में सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय निवेश विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार अथवा अंतरराष्ट्रीय निवेश करारों के तहत उत्पन्न विवादों के समाधान में संबंधित सुविज्ञता या अनुभव रखने वाले तीन माध्यस्थ शामिल होंगे। वे स्वतंत्र होंगे और व्यापार और निवेश मामलों में किसी विवादकारी पक्षकार या पक्षकार के राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों से संबद्ध नहीं होंगे या हिदायत नहीं लेंगे। माध्यस्थगण, विवाद संबंधी मसलों पर किसी संगठन, सरकार, राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों या विवादकारी पक्षकार से हिदायत नहीं लेंगे।

17.2 प्रत्येक विवादकारी पक्षकार द्वारा एक माध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा और तीसरा माध्यस्थ (पीलसीन माध्यस्थ) सह-माध्यस्थों और विवादकारी पक्षकारों की सहमति से नियुक्त किया जाएगा।

17.3 यदि इस अनुच्छेद के तहत माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति की तिथि से एक सौ बीस (120) दिनों के अंदर माध्यस्थ अधिकरण गठित नहीं किया जाता तो इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त प्राधिकारी स्थाई माध्यस्थ न्यायालय का महासचिव होगा।

17.4 नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक से और विवादकारी पक्षकारों से परामर्श करके, अभी तक अनियुक्त माध्यस्थ या माध्यस्थों की नियुक्ति करेगा।

#### अनुच्छेद 18

##### माध्यस्थों के हित संघर्ष की रोकथाम और चुनौतियां



18.1 इस करार के तहत विवाद समाधान के लिए नियुक्त प्रत्येक माध्यस्थ समग्र माध्यम कार्यवाही के दौरान वास्तविक या संभावित हित संघर्ष में निष्पक्ष, स्वतंत्र और लटस्य रहेगा।

18.2 नामित किए जाने और यदि नियुक्ति की जाती है तो प्रत्येक मध्यस्थ सतत आधार पर लिखित रूप में ऐसी परिस्थितियों का खुलासा करेगा जो विवादकारी पक्षकारों की नजर में उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता या हित टकराव से मुक्त होने में संदेह उत्पन्न कर करती हो। इसमें ऐसी कोई भी मदें जो अनुच्छेद 18.10 में सूचीबद्ध हैं और विवाद के विषय से संबंधित कोई संगत परिस्थितियां शामिल होती हैं और किसी भी विवादकारी पक्षकारों के साथ मौजूदा या विगत, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, वित्तीय, व्यक्तिगत, कारोबार या व्यावसायिक संबंध, पक्षकार, विधिक काउंसिल, प्रतिनिधि, गवाह या सह-मध्यस्थ शामिल होते हैं। मध्यस्थ को जैसे ही ऐसी परिस्थितियों की जानकारी होती है तुरंत इसका खुलासा किया जाएगा, और यह खुलासा सह-मध्यस्थ विवादकारी पक्षकारों और नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी यदि कोई हो, नियुक्ति करता हो, के समक्ष किया जाएगा। ऐसा खुलासा करने से न तो उन व्यष्टियों या निकायों की सूचना की स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता और न ही सार्वजनिक जानकारी के लिए उस सूचना का उपलब्ध होना मध्यस्थ को ऐसे खुलासा करने के निश्चयात्मक कर्तव्य से छूट दे सकता है। खुलासा करने की आवश्यकता है या नहीं इसके संबंध में संदेह का ऐसे खुलासा होने पर समाधान किया जाएगा।

18.3 इस करार के तहत नियुक्त माध्यस्थ को विवादकारी पक्षकार चुनौती दे सकता है:-

(क) यदि तथ्य या परिस्थितियां विद्यमान हों जो किसी भी विवादकारी पक्षकार की दृष्टि से माध्यस्थ की हित टकराव से स्वतंत्रता, निष्पक्षता या आजादी के प्रति औचित्यपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हों; या

(ख) माध्यस्थ के कार्य करने में विफल होने या कानूनन अथवा वास्तव में माध्यस्थ के लिए अपने कार्य करना असंभव होने की स्थिति में,

परंतु उस पक्षकार को पंद्रह दिन के बाद ऐसी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है: (i) माध्यस्थ द्वारा अनुच्छेद 18.2 के तहत किए गए खुलासे के जरिए संगत तथ्यों या परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने पर, या (ii) अन्यथा संगत तथ्यों या अनुच्छेद 18.3 के तहत चुनौती के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों से अवगत होने पर, जो भी बाद में हो।

18.4 अनुच्छेद 17.3 के तहत विवादकारी पक्षकार, माध्यस्थ, जिसे चुनौती दी जाती है, अन्य माध्यस्थों और नियुक्तकर्ता प्राधिकारी को चुनौती का नोटिस दिया जाएगा। चुनौती के नोटिस में चुनौती के कारण बताए जाएंगे।

18.5 यदि विवादकारी पक्षकार द्वारा माध्यस्थ को चुनौती दी गई है, तो सभी विवादकारी पक्षकार इस चुनौती से सहमत हो सकते हैं। माध्यस्थ भी, चुनौती के बाद, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। किसी भी मामले में इसका निहितार्थ चुनौती के कारणों की वैधता स्वीकार करना नहीं है।

18.6 यदि चुनौती के नोटिस की तारीख से पंद्रह(15) दिन के भीतर विवादकारी पक्षकारगण चुनौती से सहमत नहीं होते या चुनौती दिया गया माध्यस्थ इस्तीफा नहीं देता, तो चुनौती देने वाले विवादकारी पक्षकार ऐसा करना जारी रख सकता है। ऐसे मामले में, यह चुनौती के नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर अनुच्छेद 17.3 में यथा विनिर्दिष्ट नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा चुनौती पर निर्णय मांगेगा।

18.7 अनुच्छेद 17.3 के तहत यथा विनिर्दिष्ट नियुक्तकर्ता प्राधिकारी अनुच्छेद 18.3 के तहत दी गई चुनौती को स्वीकार करेगा यदि, वास्तविक पूर्वाग्रह के अभाव में भी, ऐसी परिस्थितियां हैं जो तैसरे पक्ष की दृष्टि से माध्यस्थ की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, हित टकराव से मुक्तिकी कमी, या अपने कर्तव्य करने की क्षमता में संदेह उत्पन्न कर सकती हैं।

18.8 किसी ऐसीस्थिति में जहां माध्यस्थता कार्यवाहियों के दौरान माध्यस्थ को बदलना होता है या एक प्रतिस्थानी माध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी या करार में दी गई व्यवस्था और माध्यस्थ नियमावली, जो नियुक्ति के लिए लागू हो, या प्रतिस्थापित किए जाने वाले माध्यस्थ की इसका अनुसरण करते हुए चुना जाएगा। यह प्रक्रिया, प्रतिस्थापित किए जाने वाले माध्यस्थ की नियुक्ति होने, माध्यस्थता में विवादकारी पक्षकारद्वारा नियुक्ति करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने या नियुक्ति में भाग लेने में विफल रहने के दौरान भी लागू होगी।

18.9 यदि किसी माध्यस्थ का प्रतिस्थापन होता है तो जब तक अन्यथा विवादकारी पक्षकारगण द्वारा सहमति न दी गई हो कार्यवाही उसी अवस्था से पुनः शुरू की जाएगी जहां प्रतिस्थापित माध्यस्थ ने अपना कार्य करना बंद कर दिया था।

18.10 माध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता अथवा हित टकराव से मुक्त होने के प्रति अतिरिक्त संदेह निम्नलिखित कारकों के शामिल होने के कारण उत्पन्न होता है, यदि:

- (क) माध्यस्थ या उसके साथी या संबंधी का हित माध्यस्थ विशेष के परिणाम से जुड़ा हो;
- (ख) माध्यस्थ, नियुक्तकर्ता पक्षकार का कानूनी प्रतिनिधि/सलाहकार है या रहा हो अथवा माध्यस्थता आरंभ होने के पहले तीन (3) वर्ष में नियुक्तकर्ता पक्ष से सम्बद्ध हो;
- (ग) माध्यस्थ किसी एक विवादकारी पक्षकार के काउंसिल के रूप में उसी कानूनी फर्म में है;
- (घ) माध्यस्थ किसी अन्य विवाद में एक विवादकारी पक्षकार के विधिक फर्म या काउंसिल में समवर्ती कार्य कर रहा हो;

- (ड) माध्यस्थता फर्म वर्तमान में किसी एक विवादकारी पक्षकार को सेवाएं दे रहा हो या दी हों या एक किसी ऐसे पक्षकारसे सम्बद्ध हो, जिसमें से ऐसी फर्म को वित्तीय लाभ होता है;
- (च) माध्यस्थ ने नियुक्तकर्ता पक्षकार से या अपने काउंसल से अपनी नियुक्ति के पहले गुणों की या विवाद के कार्यवाही संबंधी पहलुओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त की हो;
- (छ) माध्यस्थ निकाय का प्रबंधक, निदेशक या सदस्य हो अथवा या अन्यथा एक विवादकारी पक्षकार में शेरधारिता के कारण उसका इसी प्रकार का नियंत्रण प्रभाव है;
- (ज) माध्यस्थता किए जा रहे मामले में मुद्दों के संबंध में माध्यस्थ ने सार्वजनिक रूप से नियत स्थिति की वकालत की हो।

18.11 पक्षकारगण परस्पर सहमति से और अपनी संबंधित कार्यवाहियां पूरी होने के बाद इस करार से उत्पन्न होने वाले विवादों में लागू करने के लिए माध्यस्थों के लिए एक अलग आचार संहिता अपनाएंगे जो लागू मौजूदी नियमावली को प्रतिस्थापित कर सकती है या अनुपूरक बन सकती है। ऐसी संहिता ऐसे विषयों का समाधान कर सकती है जैसा कि खुलासा करने की बाध्यता, माध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता और गोपनीयता।

#### अनुच्छेद 19 माध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियां

19.1 जब तक विवादकारी पक्षकार अन्यथा सहमत न हों तब तक कोई भी माध्यस्थ अधिकरण किसी ऐसे देश के भू-भाग में माध्यस्थता का आयोजन नहीं करेगा जो न्यूयॉर्क अभिसमय में कोई पक्षकार हो, जिसका चयन यूएनसीआईटीआरएल माध्यस्थता नियम, यदि माध्यस्थता उन नियमों के अधीन हो, के अनुसार किया गया हो।

19.2 जब तक विवादकारी पक्षकारगण अन्यथा सहमत न हों तब तक माध्यस्थ अधिकरण बैठकों और सुनवाई के लिए स्थान तथा माध्यस्थता की विधि का निर्धारण कर सकेगा। ऐसा करने में, माध्यस्थ अधिकरण विवाद से जुड़े पक्षकारों और माध्यस्थों की सुविधा, संबद्ध विषय की अवस्थिति, साक्ष्य की निकटता को ध्यान में रखेगा और और निवेश किए गए क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगा।

19.3 साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामलों पर विचार करते समय, माध्यस्थ अधिकरण को ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा जिनसे बचाव पक्षकार के दावे निवेश किए गए क्षेत्र की विधि के तहत गोपनीयता या विशेषाधिकार संबंधी नियमों के अंतर्गत प्रकटन से संरक्षित हों।

#### अनुच्छेद 20 मामूली दावों का अस्वीकरण



20.1 अन्य आपत्तियों का निराकरण करने के संबंध में माध्यस्थ अधिकरण के प्राधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, माध्यस्थ अधिकरण विवादकारी निवेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में बचाव पक्षकार द्वारा निम्न के संबंध में की गई किसी आपत्ति से संबंधित प्रारंभिक प्रश्न के रूप में निराकरण और अभिनिश्चय करेगा: (क) जो माध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार के दायरे के भीतर न हो, या (ख) प्रकट रूप से बिना कानूनी गुणावगुण वाला हो या जिसे कानूनी मामले के रूप में न पाया गया हो।

20.2 ऐसी आपत्ति माध्यस्थ अधिकरण के गठित किए जाने के पश्चात माध्यस्थ अधिकरण को यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाएगी, और किसी भी दशा में उस तारीख के बाद प्रस्तुत नहीं की जाएगी जो माध्यस्थ अधिकरण ने बचाव पक्षकार को अपना प्रति-मेमोरियल प्रस्तुत करने के लिए नियत की हो (या, माध्यस्थम के नोटिस में किसी संशोधन के मामले में, वह तारीख जो माध्यस्थ अधिकरण ने बचाव पक्षकार द्वारा संशोधन के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए नियत की हो)।

20.3 इस अनुच्छेद के अधीन कोई आपत्ति प्राप्त होने पर, माध्यस्थ अधिकरण गुणावगुण के आधार पर किन्हीं कार्यवाहियों को निलंबित करेगा, आपत्ति के प्रारंभिक प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी अन्य प्रारंभिक प्रश्न पर विचार करने के लिए इसके द्वारा संस्थापित की गई किसी अनुसूची के अनुरूप कोई अनुसूची स्थापित करेगा तथा आपत्ति के संबंध में आधार बताते हुए निर्णय या पंचाट जारी करेगा। इस अनुच्छेद के अधीन किसी आपत्ति के संबंध में निर्णय लेने में, माध्यस्थ अधिकरण माध्यस्थम के नोटिस (या उसके किसी संशोधन) में किसी दावे के समर्थन में सही विवादकारी निवेशकर्ता के वास्तविक आरोपों को मानेगा। माध्यस्थ अधिकरण विवाद में शामिल न रहे किन्हीं प्रासंगिक तथ्यों पर भी विचार कर सकेगा।

20.4 माध्यस्थ अधिकरण अनुच्छेद 20.2 के अंतर्गत किए गए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख के एक सौ पचास(150) दिनों के भीतर इस अनुच्छेद के अधीन पंचाट जारी करेगा। तथापि, यदि कोई बचाव पक्षकार सुनवाई का अनुरोध करता है तो माध्यस्थ अधिकरण निर्णय या पंचाट जारी करने के लिए तीस(30) दिनों की अवधि और ले सकेगा।

20.5 बचाव पक्षकार सक्षमता या गुणावगुण संबंधी किसी तर्क के रूप में किसी आपत्ति को केवल इसलिए माफ नहीं करता है क्योंकि प्रतिवादी पक्षकार ने कोई आपत्ति उठाई थी या नहीं उठाई थी या इस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट समीचीन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया था।

20.6 अनुच्छेद 20.2 या 20.3 के तहत प्रतिवादी पक्षकार द्वारा किसी प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेते समय माध्यस्थ अधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो विद्यमान प्रतिवादी पक्षकार पर आपत्ति प्रस्तुत करने या उसका विरोध करने पर आई समुचित लागतें तथा एटोर्नीज के शुल्कों के संबंध में पंचाट दे सकेगा। यह निर्धारण करते समय कि क्या ऐसा कोई पंचाट अपेक्षित है, माध्यस्थ अधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या विवादकारी निवेशक द्वारा किया गया दावा या प्रतिवादी पक्षकार द्वारा की गई आपत्ति मामूली प्रकृति की है, और विवादकारी पक्षकारों को अपने मामले प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा।



**अनुच्छेद 21**  
**माध्यस्थम संबंधी कार्यवाहियों में पारदर्शिता**

21.1 गोपनीय सूचना के संरक्षण के संबंध में प्रयोज्य कानून के अध्यक्षीन, प्रतिवादी पक्षकार जनता को इस अध्याय के अंतर्गत विवाद से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा:

- (क) लिखित अनुरोध और माध्यस्थम का नोटिस;
- (ख) विवाद से इतर पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों सहित, माध्यस्थ अधिकरण को प्रस्तुत क्षेत्राधिकार तथा गुणावगुण संबंधी तर्क और अन्य लिखित प्रस्तुतीकरण;
- (ग) सुनवाई की नकलें, जहां प्रयोज्य हो; और
- (घ) माध्यस्थ अधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्णय, आदेश और पंचाट।

21.2 साक्ष्य या मौखिक तर्क ("सुनवाईयां") प्रस्तुत करने के लिए सुनवाईयां निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक की जाएंगी;

- (क) जहां कार्यवाहियों में गोपनीय सूचना को संरक्षित करना या प्रतिभागियों की सुरक्षा को संरक्षित करना आवश्यक हो वहां माध्यस्थ अधिकरण ऐसे संरक्षण की अपेक्षा के चलते सुनवाई के उस भाग की सुनवाई निजी तौर पर करने की व्यवस्थाएं करेगा।
- (ख) माध्यस्थ अधिकरण सुनवाईयों के लिए जनता की पहुँच को सुकर बनाने के लिए संभार संबंधी व्यवस्थाएं करेगा, इनमें वीडियो लिंकों के जरिए या ऐसे अन्य साधनों के जरिए जिन्हें यह उचित समझे, लोगों को एकत्र करना शामिल है। तथापि, माध्यस्थम संबंधी अधिकरण विवादकारी पक्षकारगण से परामर्श के पश्चात सभी सुनवाईयों या किसी भाग की सुनवाई निजी तौर पर आयोजित करने का निर्णय लेगा, जहां यह संभार संबंधी कारणों, यथा जब परिस्थितियां किसी सुनवाई के लिए जनता की पहुँच से संबंधित किसी मूल व्यवस्था को अव्यवहार्य बना देती हैं, की वजह से आवश्यक हो जाता है।

21.3 इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया माध्यस्थ अधिकरण का पंचाट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होगा, बशर्ते कि सूचना गोपनीय न हो। जहां कोई प्रतिवादी पक्षकार यह विनिश्चित करता है कि ऐसा करना जन हित में है और उस विनिश्चय को माध्यस्थ अधिकरण को अधिसूचित करता है वहां प्रस्तुत किए गए या माध्यस्थ अधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर भी उपलब्ध होंगे, बशर्ते कि सूचना गोपनीय न हो।

21.4 विवाद से इतर पक्षकार माध्यस्थ अधिकरण को इस करार के निर्वचन के संबंध में मौखिक और लिखित निवेदन कर सकेगा।

**अनुच्छेद 22**

22.1 इस करार का निर्वचन अनुवर्तन के उस उच्च स्तर के संदर्भ में किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों के विकास और घरेलू नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में उन्हें प्रदान करता है।

22.2 विवादकारी निवेशक निम्न के संस्थापन का उत्तरदायित्व वहन करता है: (क) क्षेत्राधिकार; (ख) अनुच्छेद 9[कार्मिकों का प्रवेश और अवस्थान] या 10[पारदर्शिता] के अंतर्गत दायित्व के अलावा, इस करार के अध्याय II के अधीन किसी दायित्व की विद्यमानता; (ग) ऐसी बाध्यता का उल्लंघन; (घ) कि निवेश, या इसके निवेश के संबंध में निवेशक को उल्लंघन के परिणामस्वरूप वास्तविक तथा कल्पनातीत नुकसान हुआ हो; और (ङ) कि वे नुकसान पूर्वानुमानित थे तथा वे उल्लंघन के कारण ही हुए थे।

22.3 इस अध्याय के अधीन स्थापित किसी अधिकरण द्वारा इस करार के निर्वचन से संबंधित अभिशासन संबंधी कानून निम्नलिखित होगा: (क) यह करार; (ख) करारों के निर्वचन से संबंधित सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धान्त, अंतर्राष्ट्रीय करारों के बीच अनुरूपता के अनुमान सहित, जिसके पक्षकारगण पक्षकार हैं; और (ग) घरेलू कानून, प्रतिवादी पक्षकार के क्षेत्र के कानून से संबंधित मामले।

#### अनुच्छेद 23

##### संयुक्त निर्वचन

23.1 इस करार के अनुसार पक्षकारगण द्वारा बाद में जारी किए गए इस करार की अनुप्रयोज्यता संबंधी विशिष्ट उपबंधों और निर्णयों के निर्वचन ऐसे निर्वचनों या निर्णयों के जारी होने पर इस अध्याय के अधीन संस्थापित अधिकरणों पर बाध्यकारी होंगे।

23.2 परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार, इस करार के निर्वचन या अनुप्रयोज्यता के बारे में पक्षकारों के अनुवर्ती करार और पद्धति के अन्य साक्ष्य इस करार के प्राधिकृत निर्वचन होंगे और इस अध्याय के अधीन माध्यस्थ अधिकरणों द्वारा उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

23.3 माध्यस्थ अधिकरण अपने स्वयं के विचार के अनुसार या प्रतिवादी पक्षकार के अनुरोध पर, इस करार के किसी ऐसे उपबंध के संयुक्त निर्वचन का अनुरोध कर सकेगा जो विवाद का विषय होगा। पक्षकार अनुरोध के साठ (60) दिनों के भीतर माध्यस्थ अधिकरण को अपने निर्वचन की घोषणा करने संबंधी किसी संयुक्त निर्णय को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। अनुच्छेद 23.1 और अनुच्छेद 23.2 के तहत पक्षकारों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि पक्षकार साठ (60) दिनों के भीतर माध्यस्थ अधिकरण को निर्णय प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए किसी निर्वचन को विवादकारी पक्षकारों और माध्यस्थ अधिकरण को अग्रणी कर दिया जाएगा, जो ऐसे निर्वचन को ध्यान में रखेंगे।

#### अनुच्छेद 24

##### विशेषज्ञ से संबंधित रिपोर्टें

लागू माध्यस्थता संबंधी नियमों द्वारा अधिकृत अन्य प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, और जब तक विवादकारी पक्षकार इसे मंजूर नहीं करते, तब तक माध्यस्थ अधिकरण ऐसी निबंधन और शर्तों, जिनपर विवादकारी पक्षकारगण सहमत हों, के अधीन विवादकारी पक्षकारगण द्वारा उठाए गए पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तकनीकी या अन्य वैज्ञानिक मामलों से संबंधित किसी वास्तविक मुद्दे के संबंध में लिखित में अधिकरण को रिपोर्ट देने के लिए यह विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा।

#### अनुच्छेद 25

##### पंचाट

25.1 पंचाट में इस संबंध में निर्णय शामिल होगा कि क्या प्रतिवादी पक्षकार से विवादकारी निवेशक और इसके निवेश तथा कानूनी आधार और इसके निर्णयों के कारणों के संबंध में इस करार के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

25.2 माध्यस्थता संबंधी माध्यस्थ अधिकरण बहुमत के आधार पर अपना निर्णय लेगा। ऐसा निर्णय विवादकारी दोनों पक्षकारगण पर बाध्यकारी होगा।

25.3 माध्यस्थ अधिकरण इस करार के अध्याय II के तहत दायित्वों के उल्लंघन के संबंध में केवल मौद्रिक क्षतिपूर्ति का पंचाट ही दे सकता है। मौद्रिक हर्जाने निवेशक या, यथाप्रयोज्य, स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम को हुए नुकसान से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा पहले ही प्रदान किए गए किसी पूर्व हर्जाने या क्षतिपूर्ति को घटा दिया जाएगा। मौद्रिक हर्जानों की गणना के लिए, माध्यस्थ अधिकरण किसी संपत्ति के प्रत्यर्पण या उपाय के निरसन या आशोधन, या अन्य उपशमनकारी कारकों<sup>1</sup> को ध्यान में रखेगा।

25.4 माध्यस्थ अधिकरण किसी भी परिस्थिति में राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक या नैतिक प्रताड़ना या कोई व्यादेशार्थ राहत प्रदान नहीं कर सकेगा।

#### अनुच्छेद 26

<sup>1</sup> उपशमन संबंधी कारकों में निवेश का चालू और विगत उपयोग, इसके अर्जन और प्रयोजन का इतिहास, निवेशक द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त क्षतिपूर्ति, अराहतप्राप्त कोई नुकसान या हर्जाना जो निवेशक से पर्यावरण या स्थानीय समुदाय या जनहित और निवेशक के हितों में संतुलन की आवश्यकता के बारे में अन्य प्रासंगिक मान्यताओं को हुआ हो।

26.1 माध्यस्थ अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय विवादकारी पक्षकारों तथा मामला विशेष को छोड़कर और किसी पर लागू नहीं होगा और माध्यस्थ अधिकरण को भी इन सीमाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए।

26.2 अनुच्छेद 26.3 के अधीन, विवादकारी पक्षकार को बिना किसी बिलम्ब के निर्णय की अनुपालना करनी होगी।

26.3 विवादकारी पक्षकार अंतिम निर्णय लागू होने की अपेक्षा नहीं करेगा, जब तक कि:

- (क) निर्णय आए हुए नब्बे(90) दिन न हो चुके हों लेकिन किसी भी विवादकारी पक्षकार ने निर्णय में संशोधन अथवा निराकरण की कार्यवाही शुरू नहीं की हो, अथवा
- (ख) न्यायालय ने खारिज न कर दिया हो और संशोधन, अलग कर देने अथवा निराकरण हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान न कर दी हो तथा अपील नहीं की गई हो।

26.4 प्रत्येक राज्य क्षेत्र में प्राधिकारी निर्णय को कानून के अनुसार अपने क्षेत्र में लागू करेंगे।

26.5 इस अध्याय के अंतर्गत पंचाट के प्रस्तुत मामले पर विचार किया जाएगा ताकिन्यूनार्क अभिसमय के अनुच्छेद 1 के प्रयोजनार्थ व्यावसायिक संबंध अथवा लेनदेन पर विचार किया जा सके।

#### अनुच्छेद 27

##### लागत

विवादकारी पक्षकारगण पंचाट की लागत को, माध्यस्थ शुल्क, व्यय, भत्तों तथा अन्यप्रशासनिक लागतों सहित, शेयर करेंगे। विवादकारी पक्षकारगण माध्यस्थ कार्यवाही में अपने अभ्यावेदन की लागत को भी वहन करेंगे। तथापि, माध्यस्थ अधिकरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि संपूर्ण लागत अथवा लागत का बड़ा हिस्सा किसी विवादकारी पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा और यह निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों विवादकारी पक्षकारगण पर लागू होगा।

#### अनुच्छेद 28

##### अपील सुविधा

पक्षकारगण इस करार को लागू करने के संबंध में करार अथवा संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात संस्थागत कार्यविधि निर्धारित कर सकेंगे ताकि अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सके, जो अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों की इस अध्याय के तहत समीक्षा कर सके। इस करार में प्रावधानों की व्याख्या करने हेतु सुसंगति का प्रावधान



करने के लिए ऐसे अपीलीय निकाय अथवा इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकता है।<sup>६। ९८॥</sup>  
व्यवस्था करने में पक्षकारगण, अन्य बातों के साथ, निम्नांकित मुद्दों को ध्यान में रख सकते हैं:

- (क) अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार के तंत्र का स्वरूप एवं संरचना;
- (ख) ऐसे अपीलीय निकाय की समीक्षा की गुंजाइश एवं मानक;
- (ग) अपीलीय निकाय या इसी प्रकार के तंत्र की कार्यवाहियों की पारदर्शिता;
- (घ) अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार के तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रभाव;
- (ङ.) अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार के तंत्र द्वारा समीक्षा का माध्यस्थम नियमों, के साथ संबंध, जिनका चयन इस करार के अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत किया जाएगा;
- और
- (च) अपीलीय निकाय अथवा समान तंत्र द्वारा समीक्षा का माध्यस्थम निर्णयों के प्रवर्तन संबंधी विद्यमान घरेलू कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंध।

## अध्याय V : पक्षकारगण के बीच विवाद निपटान

### अनुच्छेद 29

#### पक्षकारगण के बीच विवाद

#### 29.1 संबंधित पक्षकारगण के बीच विवाद:

- (क) इस करारनिर्वचन या इसकी अनुप्रयोज्यता, अथवा
- (ख) क्या अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अच्छी भावना के साथ परामर्श का अनुपालन किया गया,
- जहां तक संभव हो, परामर्श या वार्ता के माध्यम से निपटान करना चाहिए, जिसमें गैर-बाध्यकारी मध्यस्थता या अन्य तंत्र शामिल हो सकते हैं।

29.2 यदि पक्षकारगण के बीच विवाद शुरू होने से छः (6) माह के अंदर विवाद का निपटान नहीं हो सकता है तो इसे किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

29.3 ऐसे अधिकरण का गठन प्रत्येक मामले के लिए निम्नानुसार किया जाएगा: पंचाट के लिए अनुरोध किए जाने के दो महीनों के अंदर, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के लिए एक-एक सदस्य की नियुक्ति करेगा। तब वे दो सदस्य तीसरे राज्य के राष्ट्रिक का चयन करेंगे, जिसके दोनों पक्षकारों के अनुमोदन पर, अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति अन्य दो सदस्यों के चयन की तारीख से दो महीने के अंदर की जाएगी।

29.4 यदि अनुच्छेद 29.3 में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर आवश्यक नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो, कोई भी पक्षकार, किसी अन्य करार की अनुपस्थिति में, कोई आवश्यक नियुक्ति(यां) करने हेतु माध्यस्थम के स्थाई न्यायालय के महासचिव से अनुरोध कर सकता है।

29.5 अधिकरण बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। ऐसा निर्णय दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

29.6 माध्यस्थम के पक्षकारगणमाध्यस्थम की लागत को वहन करेंगे जिसमें माध्यस्थ शुल्क, खर्च, भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। प्रत्येक पक्षकारमाध्यस्थ कार्यवाही में अपने अभ्यावेदन की लागत को वहन करेगा। तथापि, अधिकरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि संपूर्ण लागत अथवा लागत का बड़ा हिस्सा पक्षकारगणमें से एक पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा और यह निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर लागू होगा।

29.7 अधिकरण अपनी सक्षमता से, विवादित पक्षकारगण के बीच हुए किसी करार के अध्यधीन सभी संबंधित प्रश्नों का निर्णय करेगा और अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

## अध्याय VI विवेकसम्मत उपाय और अपवाद

### अनुच्छेद 30

#### विवेकपूर्ण उपाय

इस करार में किसी अन्य उपबंध के होने के बावजूद, किसी देश के प्राधिकारियों को ऐसे निवेशकों, निक्षेपकों, पालिसी धारकों या प्रकृत या विधिक व्यक्तियों, जिनके लिए वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति करने वाली, या इसकी सत्यनिष्ठा और स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई संस्था प्रत्ययी कर्तव्य के लिए उत्तरदायी हो, के हित रक्षण वाले उपायों सहित वित्तीय सेवा से जुड़े उपाय करने से विवेकसम्मत कारणों से नहीं रोका जाएगा। जहां ऐसे उपाय करार के उपबंधों से मेल नहीं खाएंगे, वहां उनका इस्तेमाल इस करार के अधीन प्रतिबद्धताओं या बाध्यताओं से बचने वाले रास्ते के रूप में नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 31

#### सामान्य अपवाद

31.1 इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर आमतौर पर प्रयोज्य उपायों को अपनाने अथवा लागू करने से रोकता हो जो निम्न के लिए आवश्यक हैं<sup>2</sup>:

(क) जनता के नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना;

<sup>2</sup>यह विचार करते हुए कि क्या कोई उपाय "आवश्यक" है, अधिकरण इस पर ध्यान देगा कि क्या राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के पास कम प्रतिबंधित वैकल्पिक युक्तिसंगत उपाय उपलब्ध नहीं था।

- (ख) मानव, पशु और पेड़-पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना;
- (ग) उन कानूनों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना जो इस करार के उपबंधों के असंगत नहीं हैं;
- (घ) सजीव और निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना;
- (ङ) कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की राष्ट्रीय निधि या स्मारकों की सुरक्षा करना।

31.2 इस करार का कोई भी अंश मौद्रिक एवं संबंधित ऋण नीतियों अथवा विनिमय दर नीतियों के अनुसार राज्य क्षेत्र के केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरणद्वारा लिए गए आम प्रयोग के गैर-भेदभावपूर्ण उपायों के संबंध में लागू नहीं होगा। यह पैराग्राफ अनुच्छेद 6 [अंतरण] के तहत किसी पक्षकार के अधिकारों और बाध्यताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

#### अनुच्छेद 32

#### सुरक्षा संबंधी अपवाद

32.1 इस करार में उल्लिखित किसी भी अंश का निम्नलिखित अर्थ नहीं होगा:

- (क) राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों से ऐसी कोई सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करना, जिसके प्रकटन को यह आवश्यक सुरक्षा हितों के विरुद्ध समझता हो; और
- (ख) राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से रोकना जिसे यह अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझता हो जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किंतु जो इन तक ही सीमित नहीं हैं:
  - (i) विखंडनीय या संयोजनीय सामग्री या जिन सामग्रियों से वे व्युत्पन्न हों, उनसे संबंधित कार्रवाई;
  - (ii) युद्ध या आपातकाल स्थिति में घरेलू और अन्य युद्धोपकरणों के परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कार्रवाई;
  - (iii) हथियारों, गोला-बारूद एवं युद्धोपकरणों और ऐसी वस्तुओं और सामग्रियों का परिवहन जो सैनिक स्थापना को आपूरित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, से संबंधित कार्रवाई;
  - (iv) आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई जिसमें संचार, विद्युत और जल अवसंरचना शामिल है जो जानबूझकर ऐसी अवसंरचना को निष्क्रिय या खराब करने के उद्देश्य से किए जाते हों;
  - (v) कोई नीति, आवश्यकता या उपाय के लिए जिसमें कंपनी, कार्मिक या उपकरण बिना किसी सीमा के सुरक्षा क्लियरेंस की अपेक्षा शामिल है।
- (ग) राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अनुरक्षण के अनुसार दायित्वों का पालन करने से रोकना।

32.2 प्रत्येक पक्षकार जहां तक संभव हो, अनुच्छेद 32.1 के अंतर्गत किए गए उपायों और उनके समापन के बारे में दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा।

32.3 इस अध्याय में निहित किसी भी बात का अर्थ इस तरह नहीं लगाया जाएगा जिससे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को इस करार के लाभ ऐसे दूसरे राज्य क्षेत्र के निवेशक को देने पड़ें जहां राज्य क्षेत्र का प्राधिकारी किसी विधान अथवा विनियमों में ऐसे उपाय अपनाता है अथवा अनुरक्षित करता है जिन्हें वह राज्य क्षेत्र-इतर अथवा राज्य क्षेत्र-इतर को निवेशक के संबंध में अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है जिनका उल्लंघन अथवा भंग किया जाना समझा जाएगा यदि इस अध्याय के लाभ ऐसे न्यायिक व्यक्ति अथवा इसके निवेशों को प्रदान किए जाएं।

32.4 इस अनुच्छेद की व्याख्या अनुच्छेद, जो कि इस करार का अभिन्न हिस्सा होगा, में स्थापित सुरक्षा अपवादों पर पक्षकारों की सहमति के अनुरूप की जाएगी।

## अध्याय- VII: अंतिम प्रावधान

### अनुच्छेद 33

#### अन्य करारों के साथ संबंध

33.1 किन्हीं अन्य करारों के अंतर्गत यह करार अथवा इसके अंतर्गत की गई कार्रवाई उन पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेंगे जिनके वे पक्षकार हों।

33.2 पक्षकारगण के बीच अन्य द्विपक्षीय करारों और इस करार के बीच संबंधों अथवा बहुपक्षीय करार जिसमें दोनों पक्षकारगण उसके अंग हों, के संबंध में किसी विसंगति या प्रश्न को करारों के कानून पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुरूप हल किया जाएगा।

### अनुच्छेद 34

#### हितों का निषेध

इस करार के अध्याय IV के अनुरूप किसी भी राज्य क्षेत्र का प्राधिकारी किसी भी समय माध्यस्थ कार्यवाहियां संस्थापित करने के बाद भी इस करार के हितों को निम्न के लिए निषेध कर सकता है:-

- (क) निवेशक के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-पक्षकार राज्य क्षेत्र अथवा निषेध प्राधिकारी के राज्य क्षेत्र; अथवा
- (ख) कोई निवेशक अथवा निवेश जो कि करार में दिए गए विवाद समाधान तंत्र से संपर्क के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित या पुनर्निर्मित किया गया हो।

### अनुच्छेद 35

#### विचार-विमर्श और आवधिक समीक्षा



35.1 कोई भी पक्षकार व्याख्या, आवेदन, कार्यान्वयन, सम्पादन अथवा अन्य किसी विषय सहित संबंधित किसी मुद्दे पर सद्भाव परामर्श से निवेदन कर सकता है, और अन्य पक्षकार तुरंत सहमत होगा, परंतु यह निम्न तक सीमित नहीं होगा।

- (क) इस करार के कार्यान्वयन की समीक्षा;
- (ख) इस करार की व्याख्या अथवा अनुप्रयोज्यता की समीक्षा करना;
- (ग) विधिक सूचना का आदान-प्रदान करना; और
- (घ) इस करार के अध्याय-IV के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों; अथवा
- (ङ) निवेश से उत्पन्न होने वाले अन्य विवादों का समाधान करना।

35.2 इस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श को आगे बढ़ाने के लिए पक्षकारगण ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं जिसका निर्णय वे संयुक्त रूप से लें; जिसमें इस करार के अध्याय IV अथवा अध्याय V के अंतर्गत प्रयोज्य विवेचन नियमावली को अनुपूरित करते हुए नियमावली बनाना और अपनाना, इस करार की बाध्यकारी व्याख्याएं जारी करना, तथा इस करार की प्रभावशीलता को सुधारने के लिए संयुक्त उपाय अपनाना शामिल हैं।

35.3 पक्षकार इस करार के लागू होने के बाद, इस करार के प्रचालन और प्रभावशीलता के परामर्श और समीक्षा हेतु प्रत्येक पांच (5) वर्षों के बाद बैठक करेंगे।

#### अनुच्छेद 36

##### समन्वयन तंत्र

36.1 पक्षकारगण निवेशकों और उनके निवेशों से संबंधित किन्हीं घटनाओं या कार्यकलापों के निराकरण में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकरणों से प्रतिनिधिगण को नामनिर्दिष्ट करते हुए समन्वयन तंत्र स्थापित करेंगे।

36.2 ऊपर के पैराग्राफ में उल्लिखित ऐसी किन्हीं घटनाओं या कार्यकलापों की सूची में, अपने संबंधित पक्षकार को निवेशक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, ऐसा पक्षकार समन्वयन तंत्र की बैठक ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस (30) दिन के अंदर, समुचित ढंग से, कराएगा ताकि ऐसी घटनाओं या कार्यों का निराकरण किया जा सके।

#### अनुच्छेद 37

##### संशोधन

37.1 यह करार किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। अनुरोधकर्ता पक्षकार को वे कारण स्पष्ट करते हुए, जिनकी वजह से संशोधन किया जा रहा है, लिखित में अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। अन्य पक्षकार प्रस्तावित संशोधन के बारे में अनुरोधकर्ता पक्षकार के साथ परामर्श करेगा तथा अनुरोध का उत्तर लिखित में होगा।

37.2 यह करार उस सीमा तक हर समय स्वतः ही संशोधित माना जाएगा जहां तक पक्षकारगण सहमत हुए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसरण में करार में संशोधन के लिए कोई भी करार, चाहे वह एकल लिखित प्रपत्र हो अथवा दस्तावेजों के आदान-प्रदान के जरिए हो, लिखित

होना चाहिए। ये संशोधन इस करार के अध्याय IV अथवा अध्याय V के अंतर्गत ग्राह्य अधिकरणों के लिए बाध्यकारी होंगे तथा अधिकरणों का कोई भी पंचाट इस करार के सभी संशोधन के अनुरूप होना चाहिए।

**अनुच्छेद 38**  
**प्रवर्तन, अवधि और समापन**

38.1 यह करार पक्षकारगण के बीच ऐसे पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा प्रवृत्त होगा जिनमें इस करार के लिए उनकी अनिवार्य आंतरिक प्रक्रिया की पूर्णता की सूचना एक-दूसरे को दी गई हो।

38.2 यह करार दस (10) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और उसके बाद व्यपगत हो जाएगा यदि पक्षकार लिखित में स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमत नहीं हो जाते कि इसको नवीकृत किया जाएगा। यह करार लागू होने के बाद किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के आशय से बारह (12) महीने पहले लिखित में पूर्व नोटिस देता है। यह करार बारह महीने (12) की अवधि बीतते ही समाप्त हो जाएगा।

38.3 उस तारीख से पहले किए गए निवेशों के संदर्भ में, जब से इस करार का समापन प्रभावी हो जाता है, इस करार के उपबंध आठ (8) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

अधोहस्ताक्षरित के साक्ष्य में, जो इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत है, इस करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ताइपेई में 18 दिसंबर 2018 को हिन्दी, अंग्रेजी तथा चीनी भाषाओं में हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं।

निर्वचन में कोई अंतर होने पर, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

महानिदेशक  
ताइपेई में भारत ताइपेई संघ



प्रतिनिधि  
भारत में ताइपेई आर्थिक और  
सांस्कृतिक केंद्र



इस करार के अनुच्छेद 32 [सुरक्षा अपवाद] की व्याख्या और/अथवा कार्यान्वयन के संदर्भ में पक्षकार निम्नलिखित सहमति की पुष्टि करते हैं:

(क) अनुच्छेद 32.3 में उल्लिखित उपाय वे उपाय हैं जहां उपायों को अधिरोपित करने वाले किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों का आशय अथवा आपत्ति अपने सुरक्षा संबंधी आवश्यक हितों का संरक्षण हैं। ये उपाय अभेदमूलक आधार पर अधिरोपित किए जाएंगे तथा ये इसके किसी भी विधान अथवा विनियम में पाए जा सकते हैं:

(i) आईटीए के मामले में अनुच्छेद 32.3 में उल्लिखित प्रयोज्य उपाय फिलहाल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत तैयार किए गए विनियमों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित किए गए हैं और आईटीए, अन्य पक्षकार के अनुरोध पर, संबंधित उपायों के बारे में सूचना प्रदान करेगा;

(ii) टीईसीसी के मामले में अनुच्छेद 32.3 में उल्लिखित प्रयोज्य उपाय फिलहाल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत तैयार किए गए विनियमों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित किए गए हैं और टीईसीसी, अन्य पक्षकार के अनुरोध पर, संबंधित उपायों के बारे में सूचना प्रदान करेगा।

(ख) जहां राज्य क्षेत्र के प्राधिकारी बचाव के रूप में यह कहते हैं कि अभिकथित आचरण इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का उल्लंघन है और अनुच्छेद 32 [सुरक्षा अपवाद] द्वारा संरक्षित इसके आवश्यक सुरक्षा हितों के बचाव के लिए है, सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय और किसी भी समय अनुच्छेद 32 [सुरक्षा अपवाद] को लागू करने का इसका निर्णय, चाहे वह माध्यस्थ कार्यवाहियां शुरू होने के पहले या बाद में हो, अन्यायपूर्ण होगा। यह इस करार के अध्याय IV अथवा अध्याय V के अंतर्गत गठित किसी माध्यस्थ अधिकरण के लिए नहीं होगा, वहां भी जहां माध्यस्थ कार्यवाहियां हानि और अथवा/मुआवजे के लिए किसी दावे के आकलन अथवा ऐसे अधिकरण से संबंधित अन्य मुद्दों के अधिनिर्णय से संबंधित हों।

**BILATERAL INVESTMENT AGREEMENT  
BETWEEN  
THE TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL CENTER IN INDIA  
AND  
THE INDIA TAIPEI ASSOCIATION IN TAIPEI**

MOFA 316

MOFA 316



## Preamble

The Taipei Economic and Cultural Center in India ("TECC") and The India Taipei Association in Taipei ("ITA") (hereinafter referred to as the "Party" individually or the "Parties" collectively);

Desiring to promote bilateral cooperation between the Parties with respect to foreign investments;

Recognizing that the promotion and the protection of investments of investors of the territory of a Party, in the territory of the other Party will be conducive to the stimulation of mutually beneficial business activity, to the development of economic cooperation between them and to the promotion of sustainable development; and

Reaffirming the right of the authorities to regulate investments in their territory in accordance with their law and policy objectives.

Have agreed as follows:

## Chapter I – Preliminary

### Article 1

#### Definitions

For the purposes of this Agreement:

1.1 "confidential information" means business confidential information, e.g. confidential commercial, financial or technical information which could result in material loss or gain or prejudice a disputing party's competitive position, and information that is privileged or otherwise protected from disclosure under the law of the territory in which investment is made;

1.2 "enterprise" means:

- (a) any legal entity constituted, organised and operated in compliance with the law of the territory in which investment is made, including any company, limited liability partnership or a joint venture; and
- (b) a branch of any such entity established in accordance with the law of the territory in which the investment is made and carrying out business activities there.

1.3 "investment" means an enterprise, directly or indirectly, owned or controlled in good faith by an investor in accordance with the law of the territory in which the investment is made, taken together with the assets of the enterprise, which has the characteristics of an investment such as the commitment of capital or other resources, certain duration, the expectation of gain or profit, the assumption of risk and sufficient contribution to the development of the Party in whose territory the investment is made. An enterprise may possess the following assets:

- (a) shares, stocks and other forms of equity instruments of the enterprise or in another enterprise;
- (b) a debt instrument or security of another enterprise;
- (c) a loan to another enterprise

- (i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or
- (ii) where the original maturity of the loan is at least three years;
- (d) licenses, permits, authorisations or similar rights conferred in accordance with the law of the territory in which investment is made;
- (e) rights conferred by contracts, including turnkey, construction, management, production, revenue-sharing, of a long-term nature such as those to cultivate, extract or exploit natural resources in accordance with the law of the territory; or
- (f) Intellectual property as provided in Article 1 of the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II of the TRIPs Agreement; and
- (g) moveable or immovable property and related rights;
- (h) any other interests of the enterprise which involve substantial economic activity and out of which the enterprise derives significant financial value;

For greater clarity, indirect investment means an investment made by an investor through a legal entity of a territory of a non-Party, where such legal entity is substantially owned or controlled, directly by the investor.

For greater clarity, investment does not include the following assets of an enterprise:

- (i) portfolio investments of the enterprise or in another enterprise; For greater certainty, portfolio investments means investment through capital instruments where such investment is less than 10 percent of the post issue paid-up capital on a fully diluted basis of a listed enterprise or less than 10 percent of the paid up value of each series of capital instruments of a listed enterprise;
- (ii) debt securities issued by an authority or an enterprise owned or controlled by an authority, or loans to an authority or an enterprise owned or controlled by an authority;
- (iii) any pre-operational expenditure relating to admission, establishment, acquisition or expansion of the enterprise incurred before the commencement of substantial business operations of the enterprise in the territory where the investment is made;
- (iv) claims to money that arise solely from commercial contracts for the sale of goods or services by a natural person or enterprise in the territory to an enterprise in the other territory;
- (v) goodwill, brand value, market share or similar intangible rights;
- (vi) claims to money that arise solely from the extension of credit in connection with any commercial transaction;
- (vii) an order or judgment sought or entered in any judicial, administrative or arbitral proceeding; and
- (viii) any other claims to money that do not involve the kind of interests or operations set out in the definition of investment in this Agreement.

1.4 "investor" means a natural or juridical person of a territory, other than a branch or representative office, that has made an investment in the other territory ;

For the purposes of this definition, a "juridical person" means:

- (a) a legal entity that is constituted, organised and operated under the law of the territory and that has substantial business activities in that territory; or
- (b) a legal entity that is constituted, organised and operated under the laws of a territory and that is directly or indirectly owned or controlled by a natural person of that territory or by a legal entity mentioned under subparagraph (a) herein.

1.5 "local authority" includes (a) an urban local body/authority, municipal body or village level body or (b) an enterprise owned or controlled by an urban local body/authority, municipal body or a village level body.

1.6 "measure" includes a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, requirement or practice.

1.7 The term "Pre-investment activity" includes any activities undertaken by the investor or its enterprise prior to the establishment of the investment in accordance with the law of the territory in which the investment is made. Any activity undertaken by the investor or its investment pursuant to compliance with sectoral limitations on foreign equity, and other limits and conditions applicable under any law relating to the admission of investments in the territory where the investment is made in specific sectors falls within the meaning of "Pre-investment activity".

1.8 "Regional Authority" means an authority at the level of state/union territory but does not include local authority.

1.9 "Territory" in respect of the Parties means the territory, including the territorial seas and any maritime areas situated beyond the territorial seas, over which the authorities of the respective territories of the Parties exercise jurisdiction in accordance with international law and its relevant laws.

1.10 "WTO Agreement" means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh on 15 April, 1994.

1.11 The Annexures, Provisos and Footnotes in this Agreement constitute an integral part of this Agreement and are to be accorded the same effect as other provisions in this Agreement.

## Article 2 Scope and General Provisions

2.1 This Agreement shall apply to measures adopted or maintained in the territory in which investment is made, relating to investments of investors of the other territory, in its territory, in existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired, or expanded thereafter,

and which have been admitted in the territory in accordance with its law, regulations and policies.

2.2 Subject to the provisions of Chapter III of this Agreement, nothing in this Agreement shall extend to any Pre-investment activity related to establishment, acquisition or expansion of any investment, or to any measure related to such Pre-investment activities, including terms and conditions under such measure which continue to apply post-investment to the management, conduct, operation, sale or other disposition of such investments.

2.3 This Agreement shall not apply to claims arising out of events which occurred, or claims which have been raised prior to the entry into force of this Agreement.

2.4 This Agreement shall not apply to:

(a) any measure by a local authority;

(b) any law or measure regarding taxation, including measures taken to enforce taxation obligations;

For greater certainty, it is clarified that where the authority of a territory in which investment is made decides that conduct alleged to be a breach of its obligations under this Agreement is a subject matter of taxation, such decision, whether before or after the commencement of arbitral proceedings, shall be non-justiciable and it shall not be open to any arbitration tribunal to review such decision.

(c) the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights under domestic law, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with the obligations under the WTO Agreement;

(d) procurement by the authorities of a territory;

(e) subsidies or grants provided by the authorities of a territory; and

(f) services supplied in the exercise of authority by the relevant body or authority of a territory. For the purposes of this provision, a service supplied in the exercise of authority means any service which is not supplied on a commercial basis.

## **Chapter II: Obligations of Authorities of a Territory**

### **Article 3**

#### **Treatment of investments**

3.1 Investments made by investors shall not be subject to measures, by authorities of the territory in which the investment is made, which constitute a violation of customary international law through:



- (a) Denial of justice in any judicial or administrative proceedings; or
- (b) fundamental breach of due process; or
- (c) targeted discrimination on manifestly unjustified grounds, such as gender, race or religious belief; or
- (d) manifestly abusive treatment, such as coercion, duress and harassment.

- 3.2 Investments of investors of the other territory and investors with respect to their investments shall be accorded full protection and security. For greater certainty, "full protection and security" only refers to the authorities of the territory of a Party's obligations relating to physical security of investors and to investments made by the investors of the other territory and not to any other obligation whatsoever.
- 3.3 A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a breach of this Article.
- 3.4 In considering an alleged breach of this article, an Arbitral Tribunal shall take account of whether the investor or, as appropriate, the locally established enterprise, pursued action for remedies before domestic courts or tribunals prior to initiating a claim under this Agreement.

#### **Article 4** **Non-discrimination**

- 4.1 Investor or investments made by investors of the other territory shall be accorded treatment no less favourable treatment than that accorded, in like circumstances, to its own investors or to investments by such investors with respect to the management, conduct, operation, sale or other disposition of investments in a territory.
- 4.2 The treatment accorded under Article 4.1 means, with respect to a Regional authority, treatment no less favourable than the treatment accorded, in like circumstances, by that Regional authority to investors, and to investments of investors, of the territory of which it forms a part.

#### **Article 5** **Expropriation**

- 5.1 An investment of an investor of the other territory may not be nationalized or expropriated (hereinafter "**expropriate**") either directly or through measures having an effect equivalent to expropriation, except for reasons of public purpose, in accordance with the due process of law and on payment of adequate compensation. Such compensation shall be adequate and be at least equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately on the day before the expropriation takes place ("**date of expropriation**"), and shall not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier. Valuation criteria shall include going concern value, asset value including declared tax value of tangible property, and other criteria, as appropriate, to determine fair market value.

- 5.2 Payment of compensation shall be made in a freely convertible currency. Interest on payment of compensation, where applicable, shall be paid in simple interest at a commercially reasonable rate from the date of expropriation until the date of actual payment. On payment, compensation shall be freely transferable in accordance with Article 6[Transfers].
- 5.3 The Parties confirm their shared understanding that:
- (a) Expropriation may be direct or indirect:
    - (i) direct expropriation occurs when an investment is nationalised or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure; and
    - (ii) indirect expropriation occurs if a measure or series of measures of the authorities of the territory has an effect equivalent to direct expropriation, in that it substantially or permanently deprives the investor of the fundamental attributes of property in its investment, including the right to use, enjoy and dispose of its investment, without formal transfer of title or outright seizure.
  - (b) The determination of whether a measure or a series of measures have an effect equivalent to expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry, that takes into consideration:
    - (i) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure or series of measures has an adverse effect on the economic value of an investment does not establish that an indirect expropriation has occurred;
    - (ii) the duration of the measure or series of measures of the authorities of the territory;
    - (iii) the character of the measure or series of measures, notably their object, context and intent; and
    - (iv) whether a measure by the authorities of the territory breaches a prior binding written commitment to the investor whether by contract, licence or other legal document.
- 5.4 For the avoidance of doubt, an action taken by the authorities of the territory in its commercial capacity shall not constitute expropriation or any other measure having similar effect.
- 5.5 Non-discriminatory regulatory measures by the authorities of the territory or measures or awards by judicial bodies of the territory that are designed and applied to protect legitimate public interest or public purpose objectives such as public health, safety and the environment shall not constitute expropriation under this Article.
- 5.6 In considering an alleged breach of this Article, an Arbitral Tribunal shall take account of whether the investor or, as appropriate, the locally established enterprise, pursued action for remedies before domestic courts or tribunals prior to initiating a claim under this Agreement.

#### **Article 6 Transfers**

- 6.1 Subject to the law of a territory, all funds of an investor of the other territory related to an investment in the territory shall be permitted to be

freely transferred and on a non-discriminatory basis. Such funds may include:

- (a) contributions to capital;
  - (b) profits, dividends, capital gains and proceeds from the sale of all or any part of the investment or from the partial or complete liquidation of the investment;
  - (c) interest, royalty payments, management fees, and technical assistance and other fees;
  - (d) payments made under a contract, including a loan agreement;
  - (e) payments made pursuant to Article 5 [Expropriation], Article 7[Compensation for losses] and under Chapter IV.
- 6.2 Unless otherwise agreed to between the Parties, currency transfer under Article 6.1 shall be permitted in the currency of the original investment or any other convertible currency. Such transfer shall be made at the prevailing market rate of exchange on the date of transfer.
- 6.3 Nothing in this Agreement shall prevent the authorities of the territory from conditioning or preventing a transfer through a good faith application of its law, including actions relating to:
- (a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of the creditors;
  - (b) compliance with judicial, arbitral or administrative decisions and awards;
  - (c) compliance with labour obligations;
  - (d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities;
  - (e) issuing, trading or dealing in securities, futures, options, or derivatives;
  - (f) compliance with the law on taxation;
  - (g) criminal or penal offences and the recovery of the proceeds of crime;
  - (h) social security, public retirement, or compulsory savings schemes, including provident funds, retirement gratuity programs and employees insurance programs;
  - (i) severance entitlements of employees;
  - (j) requirement to register and satisfy other formalities imposed by the Central Bank and other relevant authorities of the territory of a Party; and
  - (k) in the case of ITA, requirements to lock-in initial capital investments, as provided in the authority's Foreign Direct Investment (FDI) Policy, where applicable, provided that, any new measure which would require a lock-in period for investments will not apply to existing investments.
- 6.4 Notwithstanding anything in Article 6.1 and 6.2 to the contrary, an authority of a territory may temporarily restrict transfers in the event of serious balance-of-payments difficulties or threat thereof, or in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies.

#### **Article 7** **Compensation for Losses**

Investments of investors of one territory which suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency or civil disturbances in other territory, will be given treatment, as regards restitution, indemnification,



compensation or other settlement, no less favourable than that which the authorities of the latter territory accord to their own investors or to investors of any non-Party territory. Resulting payments shall be freely transferable.

#### **Article 8 Subrogation**

- 8.1 If an authority of a territory or its designated agency makes a payment to any of its investors under a guarantee or a contract of insurance it has entered into in respect of an investment, the validity of the subrogation in favour of such authority or agency thereof to any right or title held by the investor shall be recognized in the other territory.
- 8.2 An authority of a territory or its designated agency thereof which is subrogated to the rights of an investor in accordance with paragraph 1 of this Article shall be entitled in all circumstances to the same rights as those of the investor in respect of the investment. Such rights may be exercised by the authority or its designated agency thereof, or by the investor if the said authority or any agency thereof so authorizes.

#### **Article 9 Entry and Sojourn of Personnel**

Subject to the law in the territories relating to the entry and sojourn of non-citizens and on the basis of reciprocity, an authority of the territory shall permit natural persons of the other territory employed by the investor or the locally established enterprise to enter and remain in its territory for the purpose of engaging in activities connected with the investment.

#### **Article 10 Transparency**

- 10.1 Each Party shall, to the extent possible, ensure that the laws, regulations, procedures, and administrative rulings of general application in respect of any matter covered by this Agreement are promptly published or otherwise made available in such a manner as to enable interested persons and the other Party to become acquainted with them.
- 10.2 Each Party shall, as provided for in the laws and regulations in its territory:
- (a) publish any such measure that it proposes to adopt; and
  - (b) provide interested persons and the other Party a reasonable opportunity to comment on such proposed measures.
- 10.3 Each Party shall, upon request by the other Party, promptly respond to specific questions from and provide information to the other Party with respect to matters referred to in Article 10.1.
- 10.4 Nothing in this Agreement shall require a Party to furnish or allow access to confidential information, the disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public interest, or which would



prejudice legitimate commercial interests of particular juridical persons, public or private.

### **Chapter III Investor Obligations**

#### **Article 11 Compliance with Laws**

The Parties reaffirm and recognize that:

(a) Investors and their investments shall comply with all laws, regulations, procedures and administrative rulings of the territory of a Party concerning the establishment, acquisition, management, operation and disposition of investments.

(b) Investors and their investments shall not, either prior to or after the establishment of an investment, offer, promise, or give any undue pecuniary advantage, gratification or gift whatsoever, whether directly or indirectly, to a public servant or official of the territory of a Party as an inducement or reward for doing or forbearing to do any official act or obtain or maintain other improper advantage nor shall be complicit in inciting, aiding, abetting, or conspiring to commit such acts.

(c) Investors and their investments shall comply with the provisions of law of the territory concerning taxation, including timely payment of their tax liabilities.

(d) An investor shall provide such information as the authorities of territory may require concerning the investment in question and the corporate history and practices of the investor, for purposes of decision making in relation to that investment or solely for statistical purposes.

#### **Article 12 Corporate Social Responsibility**

Investors and their enterprises operating within each territory shall endeavour to voluntarily incorporate internationally recognized standards of corporate social responsibility in their practices and internal policies, such as statements of principle that have been endorsed or are supported by the authorities of the territories. These principles may address issues such as labour, the environment, human rights, community relations and anti-corruption.

### **Chapter IV Settlement of Investment Disputes**

#### **Article 13 Scope and Definitions**

13.1 Without prejudice to the rights and obligations of the authorities of the territories under Chapter V, this Chapter establishes a mechanism for the settlement of disputes between an investor and the authorities of the other territory.

13.2 This Chapter shall only apply to a dispute between the authorities of a territory and an investor of the other territory with respect to its investment, arising out of an alleged breach of an obligation of the authorities of the territory under Chapter II of this Agreement, other than the obligation under Articles 9 [Entry and Sojourn of Personnel] and Article 10 [Transparency] of this Agreement.

13.3 The Arbitral Tribunal constituted under this Chapter shall only decide claims in respect of a breach of this Agreement as set out in Chapter II, except under Articles 9 [Entry and Sojourn of Personnel] and Article 10 [Transparency], and not disputes arising solely from an alleged breach of a contract between the authorities of the territory and an investor. Such disputes shall only be resolved by the domestic courts or in accordance with the dispute resolution provisions set out in the relevant contract.

13.4 An investor may not submit a claim to arbitration under this Chapter if the investment has been made through fraudulent misrepresentation, concealment, corruption, money laundering, conduct amounting to an abuse of process, or similar illegal mechanisms.

13.5 In addition to other limits on its jurisdiction, the Arbitral Tribunal constituted under this Chapter shall not have the jurisdiction to:

- (a) review the merits of a decision made by a judicial authority of the territory;
- or
- (b) accept any claim that is or has been subject of an arbitration under Chapter V.

13.6 A dispute between an investor and the authorities of the territory shall proceed sequentially in accordance with this Chapter.

13.7 For the purposes of this Chapter:

- (a) “**Defending Party**” means the authorities of the territory against which a claim is made under this Article.
- (b) “**disputing party**” means a Defending Party or a disputing investor.
- (c) “**disputing parties**” means a disputing investor and a Defending Party.
- (d) “**disputing investor**” means an investor of a territory that makes a claim against the authorities of the other territory on its behalf under this Article, and where relevant, includes an investor of a territory that makes a claim on behalf of the locally established enterprise.
- (e) “**Non-disputing Party**” means the authorities of the territory to this Agreement which is not a party to a dispute under Chapter IV of this Agreement.
- (f) “**UNCITRAL Arbitration Rules**” means the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law.
- (g) “**New York Convention**” means the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York on 10 June, 1958.
- (h) “**ICC Arbitration Rules**” means the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, in force as from 1 January 2012 and as amended thereafter.

#### Article 14

##### Proceedings under different international agreements

Where claims are brought pursuant to this Chapter and another international agreement and:

- (a) there is a potential for overlapping compensation; or
- (b) the other international claim could have a significant impact on the resolution of the claim brought pursuant to this Chapter,

the Arbitral Tribunal constituted under this Chapter shall, as soon as possible after hearing the disputing parties, stay its proceedings or otherwise ensure that proceedings brought pursuant to another international agreement are taken into account in its decision, order or award.

#### Article 15

##### Conditions Precedent to Submission of a Claim to Arbitration

- 15.1 In respect of a claim that the Defending Party has breached an obligation under Chapter II, other than an obligation under Article 9 [Entry and Sojourn of Personnel] and Article 10 [Transparency], a disputing investor may commence a proceeding under this Chapter by transmitting a written request for consultations and negotiations ("written request") to the Defending Party.
- 15.2 The written request shall: specify the name and address of the disputing investor or the enterprise, where applicable; set out the factual basis of the claim, including the measures at issue; specify the provisions of the Agreement alleged to have been breached and any other relevant provisions; specify the relief sought and the approximate amount of damages claimed; and furnish evidence establishing that the disputing investor is an investor of the territory of the other Party.
- 15.3 For no less than six (6) months after receipt of the written request, the disputing parties shall use their best efforts to try to resolve the dispute amicably through meaningful consultation, negotiation or other third party procedures. In all such cases, the place of such consultation or negotiation or settlement shall be the territory in which the investment is made.
- 15.4 In the event that the disputing parties cannot settle the dispute amicably, a disputing investor may submit a claim to arbitration pursuant to this Agreement, but only if the following additional conditions are satisfied:
  - (a) a disputing investor must submit its claim before the relevant domestic courts or administrative bodies in the territory in which the investment is made for the purpose of pursuing domestic remedies in respect of the same measure or similar factual matters for which a breach of this Agreement is claimed. Such claim before the relevant domestic courts or administrative bodies mentioned above, must be submitted within one(1) year and six (6) months from the date on which the investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the measure in question and knowledge that the investment, or the investor with respect to its investment, had incurred loss or damage as a result. For greater certainty, in demonstrating compliance with the obligation to exhaust local remedies, the investor shall not assert that the obligation to exhaust local remedies does not apply or has been met on the basis that the claim under this Agreement is by a different party or in respect of a different cause of action.



Provided, however, that the requirement to exhaust local remedies shall not be applicable if the investor or the locally established enterprise can demonstrate that there are no available domestic legal remedies capable of reasonably providing any relief in respect of the same measure or similar factual matters for which a breach of this Agreement is claimed by the investor.

(b) Where applicable, if, after exhausting all judicial and administrative remedies relating to the measure underlying the claim for at least a period of four(4) years from the date on which the investor first acquired knowledge of the measure in question, no resolution has been reached satisfactory to the investor,

(c) not more than five (5) years and six (6) months have elapsed from the date on which the disputing investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the measure in question and knowledge that the disputing investor with respect to its investment, had incurred loss or damage as a result; or

(d) where applicable, not more than twelve (12) months have elapsed from the conclusion of domestic proceedings pursuant to subparagraph (b).

(e) the disputing investor or the locally established enterprise have waived their right to initiate or continue before any administrative tribunal or court under the law of the territory of any Party, or other dispute settlement procedures, any proceedings with respect to the measure of the Defending Party that is alleged to be a breach referred to in Article 13.2.

(f) In case of indirect investment, a disputing investor may submit a claim under Chapter IV only if, both the disputing investor and the legal entity of any other territory through which the investment has been made, waive their right to initiate or continue any proceeding, including under any other Investment Agreement, with respect to the measure of the Defending Party that is alleged to be a breach referred to in Article 13.2. Such waivers shall be provided in writing to the Defending Party, by the disputing investor and the legal entity of any other territory through which the investment has been made.

(g) In case of indirect investment, no claim may be submitted under this Chapter if the disputing investor or the legal entity of any other territory through which the investment has been made, submits or has submitted a claim with respect to the same measure or series of measures under any proceeding, including under any other Investment Agreement.

(h) where the claim submitted by the disputing investor is for loss or damage to an interest in an enterprise of the territory of the other Party that is a juridical person that the disputing investor owns or controls, that enterprise has waived its right to initiate or continue before any administrative tribunal or court under the law of the territory of any Party, or other dispute settlement procedures, any proceedings with respect to the measure of the Defending Party that is alleged to be a breach referred to in Article 13.2.

(i) At least 90 days before submitting any claim to arbitration, the disputing investor has transmitted to the Defending Party a written notice of its intention to submit the claim to arbitration ("notice of arbitration"). The notice of arbitration shall:



(i) attach the written request and the record of its transmission to the Defending Party with the details thereof;

(ii) provide the consent to arbitration by the disputing investor, or where applicable, by the locally established enterprise, in accordance with the procedures set out in this Agreement;

(iii) provide the waiver as required under Article 15.4 (e),(f), (g) or (h), as applicable; provided that a waiver from the enterprise under Article 15.4 (e),(f),(g) or (h) shall not be required only where the Defending Party has deprived the disputing investor of control of an enterprise;

(iv) specify the name of the arbitrator appointed by the disputing investor.

#### **Article 16**

##### **Submission of Claim to Arbitration**

16.1 A disputing investor who meets the conditions precedent provided for in Article 15[Conditions Precedent to Submission of a Claim to Arbitration] may submit the claim to arbitration under:

(a) the UNCITRAL Arbitration Rules; or

(b) any other arbitration rules, including the ICC Arbitration Rules, if mutually agreed by the disputing parties.

16.2 The applicable arbitration rules shall govern the arbitration except to the extent modified by this Chapter, and supplemented by any subsequent rules adopted by the Parties.

16.3 A claim is submitted to arbitration under this Chapter when the notice of arbitration given under the UNCITRAL Arbitration Rules is received by the Defending Party.

16.4 Delivery of notice and other documents on a Party shall be made to the Designated Representative for each Party.

#### **Article 17**

##### **Appointment of Arbitrators**

17.1 The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators with relevant expertise or experience in public international law, international trade and international investment law, or the resolution of disputes arising under international trade or international investment agreements. They shall be independent of, and not be affiliated with or take instructions from a disputing party or the authorities of the territory of a Party, with regard to trade and investment matters. Arbitrators shall not take instructions from any organisation, government, authorities of the territories or disputing party with regard to matters related to the dispute.

17.2 One arbitrator shall be appointed by each of the disputing parties and the third arbitrator ("**Presiding Arbitrator**") shall be appointed by agreement of the co-arbitrators and the disputing parties.

17.3 If the Arbitral Tribunal has not been constituted within one hundred twenty (120) days from the date that a Claim is submitted to arbitration under this Article, the appointing authority under this Article shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration.

17.4 The appointing authority shall appoint in her/his discretion and after consultation with the disputing parties, the arbitrator or arbitrators not yet appointed.

#### Article 18

##### Prevention of Conflict of Interest of Arbitrators and Challenges

18.1 Every arbitrator appointed to resolve disputes under this Agreement shall during the entire arbitration proceedings be impartial, independent and free of any actual or potential conflict of interest.

18.2 Upon nomination and, if appointed, every arbitrator shall, on an ongoing basis, disclose in writing any circumstances that may, in the eyes of the disputing parties, give rise to doubts as to her/his independence, impartiality, or freedom from conflicts of interest. This includes any items listed in Article 18.10 and any other relevant circumstances pertaining to the subject matter of the dispute, and to existing or past, direct or indirect, financial, personal, business, or professional relationships with any of the disputing parties, Parties, legal counsel, representatives, witnesses, or co-arbitrators. Such disclosure shall be made immediately upon the arbitrator acquiring knowledge of such circumstances, and shall be made to the co-arbitrators, disputing parties and the appointing authority, if any, making an appointment. Neither the ability of those individuals or entities to access this information independently, nor the availability of that information in the public domain, will relieve any arbitrator of his or her affirmative duty to make these disclosures. Doubts regarding whether disclosure is required shall be resolved in favour of such disclosure.

18.3 A disputing party may challenge an arbitrator appointed under this Agreement:

- (a) if facts or circumstances exist that may, in the eyes of any of the disputing parties, give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's independence, impartiality or freedom from conflicts of interest; or
- (b) in the event that an arbitrator fails to act or in the event of the *de jure* or *de facto* impossibility of the arbitrator performing his or her functions,

Provided that no such challenge may be initiated after fifteen days of that party: (i) learning of the relevant facts or circumstances through a disclosure made under Article 18.2 by the arbitrator, or (ii) otherwise becoming aware of the relevant facts or circumstances relevant to a challenge under Article 18.3, whichever is later.

18.4 The notice of challenge shall be communicated to the disputing party, to the arbitrator who is challenged, to the other arbitrators and to the appointing authority under Article 17.3. The notice of challenge shall state the reasons for the challenge.

18.5 When an arbitrator has been challenged by a disputing party, all disputing parties may agree to the challenge. The arbitrator may also, after the challenge, withdraw from his or her office. In neither case does this imply acceptance of the validity of the grounds for the challenge.

18.6 If, within fifteen (15) days from the date of the notice of challenge, the disputing parties do not agree to the challenge or the challenged arbitrator does not withdraw, the disputing party making the challenge may elect to pursue it. In that case, within 30 days from the date of the notice of challenge, it shall seek a decision on the challenge by the appointing authority as specified under Article 17.3.

18.7 The appointing authority as specified under Article 17.3 shall accept the challenge made under Article 18.3 if, even in the absence of actual bias, there are circumstances that would give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's lack of independence, impartiality, freedom from conflicts of interest, or ability to perform his or her role, in the eyes of an objective third party.

18.8 In any event where an arbitrator has to be replaced during the course of the arbitral proceedings, a substitute arbitrator shall be appointed or chosen pursuant to the procedure provided for in the Agreement and the arbitration rules that were applicable to the appointment or choice of the arbitrator being replaced. This procedure shall apply even if during the process of appointing the arbitrator to be replaced, a disputing party to the arbitration had failed to exercise its right to appoint or to participate in the appointment.

18.9 If an arbitrator is replaced, the proceedings may resume from the stage where the arbitrator who was replaced ceased to perform his or her functions unless otherwise agreed by the disputing parties.

18.10 A justifiable doubt as to an arbitrator's independence or impartiality or freedom from conflicts of interest shall be deemed to exist on account of the following factors, including if:

- (a) The arbitrator or her/his associates or relatives have an interest in the outcome of the particular arbitration;
- (b) The arbitrator is or has been a representative/advisor of the appointing party or an affiliate of the appointing party in the preceding three (3) years prior to the commencement of arbitration;
- (c) The arbitrator is from the same law firm as the counsel to a disputing party;
- (d) The arbitrator is acting concurrently with the counsel or firm of a disputing party in another dispute;
- (e) The arbitrator's firm is currently rendering or has rendered services to a disputing party or to an affiliate of one of the parties out of which such firm derives financial interest;
- (f) The arbitrator has received a full briefing of the merits or procedural aspects of the dispute from the appointing party or her/his counsel prior to her/his appointment;
- (g) The arbitrator is a manager, director or member of the governing body, or has a similar controlling influence by virtue of shareholding or otherwise in a disputing party;
- (h) The arbitrator has publicly advocated a fixed position regarding an issue on the case that is being arbitrated.

18.11 The Parties shall by mutual agreement and after completion of their respective procedures adopt a separate code of conduct for arbitrators to be applied in disputes arising out of this Agreement, which may replace or supplement the existing rules in application. Such a code may address topics such as disclosure obligations, the independence and impartiality of arbitrators and confidentiality.

#### **Article 19** **Conduct of Arbitral Proceedings**

19.1 Unless the disputing parties agree otherwise, the Arbitral Tribunal shall hold the arbitration proceedings in the territory of a country that is a party to the New York Convention, selected in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules if the arbitration is under those Rules.

19.2 Unless otherwise agreed by the disputing parties, the Arbitral Tribunal may determine a place for meetings and hearings and the legal seat of arbitration. In doing so, the Arbitral Tribunal shall take into consideration the convenience of the disputing parties and the arbitrators, the location of the subject matter, the proximity of the evidence, and give special consideration to the territory in which the investment is made.

19.3 When considering matters of evidence or production of documents, the Arbitral Tribunal shall not have any powers to compel production of documents which the Defending Party claims are protected from disclosure under the rules on confidentiality or privilege under the law of the territory in which the investment is made.

#### **Article 20** **Dismissal of Frivolous Claims**

20.1 Without prejudice to the Arbitral Tribunal's authority to address other objections, the Arbitral Tribunal shall address and decide as a preliminary question any objection by the Defending Party that a claim submitted by the disputing investor is: (a) not within the scope of the Arbitral Tribunal's jurisdiction, or (b) manifestly without legal merit or unfounded as a matter of law.

20.2 Such objection shall be submitted to the Arbitral Tribunal as soon as possible after the Arbitral Tribunal is constituted, and in no event later than the date the Arbitral Tribunal fixes for the Defending Party to submit its counter-memorial (or, in the case of an amendment to the notice of arbitration, the date the Arbitral Tribunal fixes for the Defending Party to submit its response to the amendment).

20.3 On receipt of an objection under this Article, the Arbitral Tribunal shall suspend any proceedings on the merits, establish a schedule for considering the objection consistent with any schedule it has established for considering any other preliminary question and issue a decision or award on the objection, stating the grounds therefore. In deciding an objection under this Article, the Arbitral Tribunal shall assume to be true disputing investor's factual allegations in



support of any claim in the notice of arbitration (or any amendment thereof). The Arbitral Tribunal may also consider any relevant facts not in dispute.

20.4 The Arbitral Tribunal shall issue an award under this Article no later than one hundred fifty (150) days after the date of the receipt of the request under Article 20.2. However, if a Defending Party requests a hearing, the Arbitral Tribunal may take an additional thirty (30) days to issue the decision or award.

20.5 The Defending Party does not waive any objection as to competence or any argument on the merits merely because the Defending Party did or did not raise an objection or make use of the expedited procedure set out this Article.

20.6 When the Arbitral Tribunal decides on a preliminary objection by a Defending Party under Article 20.2 or 20.3, the Arbitral Tribunal may, if warranted, award to the prevailing Defending Party reasonable costs and attorneys' fees incurred in submitting or opposing the objection. In determining whether such an award is warranted, the Arbitral Tribunal shall consider whether either the claim by the disputing investor or the objection by the Defending Party was frivolous, and shall provide the disputing parties a reasonable opportunity to present its cases.

## **Article 21**

### **Transparency in arbitral proceedings**

21.1 Subject to applicable law regarding protection of confidential information, the Defending Party shall make available to the public the following documents relating to a dispute under this Chapter:

- (a) the written request and the notice of arbitration;
- (b) pleadings and other written submissions on jurisdiction and the merits submitted to the Arbitral Tribunal, including submissions by a Non-disputing Party;
- (c) Transcripts of hearings, where available; and
- (d) decisions, orders and awards issued by the Arbitral Tribunal.

21.2 Hearings for the presentation of evidence or for oral argument ("hearings") shall be made public in accordance with the following provisions:

- a. Where there is a need to protect confidential information or protect the safety of participants in the proceedings, the Arbitral Tribunal shall make arrangements to hold in private that part of the hearing requiring such protection.
- b. The Arbitral Tribunal shall make logistical arrangements to facilitate public access to hearings, including by organizing attendance through video links or such other means as it deems appropriate. However, the Arbitral Tribunal may, after consultation with the disputing parties, decide to hold all or part of the hearings in private where this becomes necessary for logistical reasons, such as when the circumstances render any original arrangement for public access to a hearing infeasible.

21.3 The award of the Arbitral Tribunal rendered under this Article shall be publicly available, subject to the redaction of confidential information. Where a

Defending Party determines that it is in the public interest to do so and notifies the Arbitral Tribunal of that determination, all other documents submitted to, or issued by, the Arbitral Tribunal shall also be publicly available, subject to the redaction of confidential information.

21.4 The Non-disputing Party may make oral and written submissions to the Arbitral Tribunal regarding the interpretation of this Agreement.

## **Article 22**

### **Burden of Proof and Governing Law**

22.1 This Agreement shall be interpreted in the context of the high level of deference that international law accords to States with regard to their development and implementation of domestic policies.

22.2 The disputing investor bears the burden of establishing: (a) jurisdiction; (b) the existence of an obligation under Chapter II of this Agreement, other than the obligation under Articles 9 [Entry and Sojourn of Personnel] or 10 [Transparency]; (c) a breach of such obligation; (d) that the investment, or the investor with respect to its investment, has suffered actual and non-speculative losses as a result of the breach; and (e) that those losses were foreseeable and directly caused by the breach.

22.3 The governing law for interpretation of this Agreement by the Arbitral Tribunal constituted under this Chapter shall be: (a) this Agreement; (b) the general principles of public international law relating to the interpretation of agreements, including the presumption of consistency between international agreements to which the Parties are party; and (c) for matters relating to domestic law, the law of the territory of the Defending Party.

## **Article 23**

### **Joint Interpretations**

23.1. Interpretations of specific provisions and decisions on application of this Agreement issued subsequently by the Parties in accordance with this Agreement shall be binding on Arbitral Tribunals established under this Chapter upon issuance of such interpretations or decisions.

23.2 In accordance with customary international law, other evidence of the Parties subsequent agreement and practice regarding interpretation or application of this Agreement shall constitute authoritative interpretations of this Agreement and must be taken into account by Arbitral Tribunals under this Chapter.

23.3 The Arbitral Tribunal may, on its own account or at the request of a Defending Party, request the joint interpretation of any provision of this Agreement that is subject of a dispute. The Parties shall submit in writing any joint decision declaring their interpretation to the Arbitral Tribunal within sixty (60) days of the request. Without prejudice to the rights of the Parties under Article 23.1 and 23.2, if the Parties fail to submit a decision to the Arbitral Tribunal within sixty (60) days, any interpretation issued individually by a Party shall be forwarded to the disputing parties and the Arbitral Tribunal, which may take into account such interpretation.

**Article 24**  
**Expert Reports**

Without prejudice to the appointment of other kinds of experts where authorized by the applicable arbitration rules, and unless the disputing parties disapprove, the Arbitral Tribunal may appoint experts to report to it in writing on any factual issue concerning environmental, health, safety, technical or other scientific matters raised by a disputing party, subject to such terms and conditions as the disputing parties may agree.

**Article 25**  
**Award**

- 25.1 The award shall include a judgement as to whether there has been a breach by the Defending Party of any rights conferred under this Agreement in respect of the disputing investor and its investment and the legal basis and the reasons for its decisions.
- 25.2 The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both disputing parties.
- 25.3 The Arbitral Tribunal can only award monetary compensation for a breach of the obligations under Chapter II of the Agreement. Monetary damages shall not be greater than the loss suffered by the investor or, as applicable, the locally established enterprise, reduced by any prior damages or compensation already provided by the authorities of the territory. For the calculation of monetary damages, the Arbitral Tribunal shall also take into account any restitution of property or repeal or modification of the measure, or other mitigating factors.<sup>1</sup>
- 25.4 The Arbitral Tribunal may not award punitive or moral damages or any injunctive relief against authorities of the territory of either Party under any circumstance.

**Article 26**  
**Finality and enforcement of awards**

- 26.1 The award made by the Arbitral Tribunal shall have no binding force except between the disputing parties and in respect of the particular case and the Arbitral Tribunal must clearly state those limitations in the text of the award.
- 26.2 Subject to Article 26.3, a disputing party shall abide by and comply with an award without delay.

---

<sup>1</sup> Mitigating factors can include, current and past use of the investment, the history of its acquisition and purpose, compensation received by the investor from other sources, any unremedied harm or damage that the investor has caused to the environment or local community or other relevant considerations regarding the need to balance public interest and the interests of the investor.

26.3 A disputing party may not seek enforcement of a final award until:

- (a) ninety (90) days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has commenced a proceeding to revise, set aside or annul the award, or
- (b) a court has dismissed or allowed an application to revise, set aside or annul the award and there is no further appeal.

26.4. Authorities in each territory shall provide for the enforcement of an award in its territory in accordance with its law.

26.5 A claim that is submitted to arbitration under this Chapter shall be considered to arise out of a commercial relationship or transaction for purposes of Article I of the New York Convention.

#### **Article 27 Costs**

The disputing parties shall share the costs of the arbitration, with arbitrator fees, expenses, allowances and other administrative costs. The disputing parties shall also bear the cost of its representation in the arbitral proceedings. The Arbitral Tribunal may, however, in its discretion direct that the entire costs or a higher proportion of costs shall be borne by a disputing party and this determination shall be final and binding on both disputing parties.

#### **Article 28 Appeals Facility**

The Parties may by agreement or after the completion of their respective procedures regarding the enforcement of this Agreement may establish an institutional mechanism to develop an appellate body or similar mechanism to review awards rendered by Arbitral Tribunals under this Chapter. Such appellate body or similar mechanism may be designed to provide coherence to the interpretation of provisions in this Agreement. In developing such a mechanism, the Parties may take into account the following issues, among others:

- (a) the nature and composition of an appellate body or similar mechanism;
- (b) the scope and standard of review of such an appellate body;
- (c) transparency of proceedings of the appellate body or similar mechanism;
- (d) the effect of decisions by an appellate body or similar mechanism or similar mechanism;
- (e) the relationship of review by an appellate body or similar mechanism to the arbitral rules that may be selected under Article 16.1 of this Agreement; and
- (f) the relationship of review by an appellate body or similar mechanism to existing domestic laws and international law on the enforcement of arbitral awards.



## **Chapter V: Dispute Settlement between Parties**

### **Article 29 Disputes between Parties**

- 29.1 Disputes between the Parties concerning:
- (a) the interpretation or application of this Agreement, or
  - (b) whether there has been compliance with obligations to consult in good faith under Article 35,
- should, as far as possible, be settled through consultation or negotiation, which may include the use of non-binding third-party mediation or other mechanisms.
- 29.2 If a dispute between the Parties cannot be settled within six (6) months from the time the dispute arose, it shall upon the request of either Party be submitted to a Tribunal.
- 29.3 Such a Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way: Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Party shall appoint one member of the Tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who, on approval by the two Parties, shall be appointed Chairman of the Tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
- 29.4 If within the periods specified in Article 29.3 the necessary appointment(s) have not been made, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration to make any necessary appointment(s).
- 29.5 The Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Parties.
- 29.6 The Parties to the arbitration shall share the costs of the arbitration, including the arbitrator fees, expenses, allowances and other administrative costs. Each Party shall bear the cost of its representation in the arbitral proceedings. The Tribunal may, however, in its discretion direct that the entire costs or a higher proportion of costs shall be borne by one of the Parties and this determination shall be binding on both Parties.
- 29.7 The Tribunal shall decide all questions relating to its competence and its own procedure, subject to any agreement between the Parties.

## **Chapter VI: Prudential Measures and Exceptions**

### **Article 30 Prudential Measures**

Notwithstanding any other provisions in this Agreement, authorities of a territory shall not be prevented from taking measures relating to financial services for prudential reasons, including measures for the protection of investors, depositors,

policy holders or natural or juridical persons to whom a fiduciary duty is owed by an entity supplying financial services, or to ensure the integrity and stability of its financial and monetary system. Where such measures do not conform with the provisions of the Agreement, they shall not be used as a means of avoiding commitments or obligations under this Agreement.

### **Article 31 General Exceptions**

31.1 Nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by the authorities of the territory, of measures of general applicability applied on a non-discriminatory basis that are necessary<sup>2</sup> to:

- (a) protect public morals or maintaining public order;
- (b) protect human, animal or plant life or health;
- (c) ensure compliance with law and regulations that are not inconsistent with the provisions of this Agreement;
- (d) protect and conserve the environment, including all living and non-living natural resources;
- (e) protect national treasures or monuments of artistic, cultural, historic or archaeological value.

31.2 Nothing in this Agreement shall apply to non-discriminatory measures of general application taken by a central bank or monetary authority of the territory in pursuit of monetary and related credit policies or exchange rate policies. This paragraph is without prejudice to a Party's rights and obligations under Article 6[Transfers].

### **Article 32 Security Exceptions**

32.1 Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require the authorities of the territory to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
- (b) to prevent the authorities of the territory from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests including but not limited to:
  - (i) action relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived;
  - (ii) action taken in time of war or other emergency in domestic or international relations;
  - (iii) action relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;

---

<sup>2</sup> In considering whether a measure is "necessary", the Tribunal shall take into account whether there was no less restrictive alternative measure reasonably available to the authorities of the territory.

- (iv) action taken so as to protect critical public infrastructure including communication, power and water infrastructures from deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructure;
- (v) any policy, requirement or measure including, without limitation, a requirement obtaining (or denying) any security clearance to any company, personnel or equipment; or
- (c) to prevent the authorities of the territory from taking any action in accordance with the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

32.2 Each Party shall inform the other Party to the fullest extent possible of measures taken under Article 32.1 and of their termination.

32.3 Nothing in this Chapter shall be construed to require authorities of a territory to accord the benefits of this Agreement to an investor of the other territory where the authorities of the territory adopts or maintains measures in any legislation or regulations which it considers necessary for the protection of its essential security interests with respect to any non-Party territory or an investor of such non-Party territory that would be violated or circumvented if the benefits of this Chapter were accorded to such juridical person or to its investments.

32.4 This Article shall be interpreted in accordance with the understanding of the Parties on security exceptions as set out in the Annex, which shall form an integral part of this Agreement.

## **Chapter VII: Final Provisions**

### **Article 33**

#### **Relationship with other Agreements**

33.1 This Agreement or any action taken hereunder shall not affect the rights and obligations of the Parties under any other Agreements to which they are parties.

33.2 Any inconsistency, or question regarding the relationship between this Agreement and another bilateral agreement between the Parties, or a multilateral agreement to which both Parties are a party, shall be resolved in accordance with the principles of international law.

### **Article 34**

#### **Denial of Benefits**

The authorities of a territory may at any time, including after the institution of arbitration proceedings in accordance with Chapter IV of this Agreement, deny the benefits of this Agreement to:

- (a) investor owned or controlled, directly or indirectly, by persons of a non-Party territory or of the territory of the denying authority; or
- (b) an investment or investor that has been established or restructured with the primary purpose of gaining access to the dispute resolution mechanisms provided in this Agreement.

**Article 35**  
**Consultations and Periodic Review**

35.1 Either Party may request, and the other Party shall promptly agree to, consultations in good faith on any issue regarding the interpretation, application, implementation, execution or any other matter including, but not limited to:

- (a) reviewing the implementation of this Agreement;
- (b) reviewing the interpretation or application of this Agreement;
- (c) exchanging legal information; and
- (d) addressing disputes arising under Chapter IV of this Agreement or (e) any other disputes arising out of investment.

35.2 Further to consultations under this Article, the Parties may take any action as they may jointly decide, including making and adopting rules supplementing the applicable arbitral rules under Chapter IV or Chapter V of this Agreement, issuing binding interpretations of this Agreement, and adopting joint measures in order to improve the effectiveness of this Agreement.

35.3 The Parties shall meet every five (5) years after the entry into force of this Agreement to consult and review the operation and effectiveness of this Agreement.

**Article 36**  
**Coordination Mechanism**

36.1 The Parties shall set up the Coordination Mechanism by designating representatives from the competent authorities of the territories to provide assistance in the resolution of any incidents or activities relating to investors and their investments.

36.2 In the event of any such incidents or activities referred to in the previous paragraph, upon request from the investor to its respective Party, such Party shall task the Coordination Mechanism to meet, in an appropriate manner, within thirty (30) days of such request for the purpose of addressing such incidents or activities.

**Article 37**  
**Amendments**

37.1 This Agreement may be amended at any time at the request of either Party. The requesting Party must submit its request in written form explaining the grounds on which the amendment shall be made. The other Party shall consult with the requesting Party regarding the proposed amendment and must also respond to the request in writing.

37.2 This Agreement will stand automatically amended at all times to the extent that the Parties agree. Any agreement to amend the Agreement pursuant to this Article must be expressed in writing, whether in a single written instrument or through an exchange of notes. These amendments shall be binding on the tribunals constituted under Chapter IV or Chapter V of this Agreement and an award of the tribunals must be consistent with all amendments to this Agreement.



**Article 38**  
**Entry into force, duration and termination**

38.1 This Agreement shall enter into force by exchange of letters between the Parties informing each other of the completion of their necessary internal procedure for this Agreement .

38.2 This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall lapse thereafter unless the Parties expressly agree in writing that it shall be renewed. This Agreement may be terminated any time after its entry into force if either Party gives to the other Party a prior notice in writing twelve (12) months in advance stating its intention to terminate the Agreement. The Agreement shall stand terminated immediately after the expiry of the twelve (12) month notice period.

38.3 In respect of investments made prior to the date when the termination of this Agreement becomes effective, the provisions of this Agreement shall remain in force for a period of eight (8) years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Done at Taipei on 18 December 2018 in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authoritative.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Representative  
Taipei Economic and Cultural Center in India



Director General  
India Taipei Association in Taipei



## Annex: Security Exceptions

The Parties confirm the following understanding with respect to interpretation and/or implementation of Article 32[Security Exceptions] of this Agreement:

- (a) the measures referred to in Article 32.3 are measures where the intention and objective of the authorities of the territory of a Party imposing the measures is for the protection of its essential security interests. These measures shall be imposed on a non-discriminatory basis and may be found in any of its legislation or regulations:
  - (i) In the case of ITA, the applicable measures referred to in Article 32.3 are currently set out in the regulations framed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder. ITA shall, upon request by the other Party, provide information on the measures concerned;
  - (ii) In the case of TECC, the applicable measures referred to in Article 32.3 are currently set out in the regulations framed under the Foreign Exchange Regulation Act and the rules and regulations made thereunder. TECC shall, upon request by the other Party, provide information on the measures concerned.
- (b) Where the authorities of a territory asserts as a defence that conduct alleged to be a breach of its obligations under this Agreement is for the protection of its essential security interests protected by Article 32 [Security Exceptions], any decision of such authorities a territory taken on such security considerations and its decision to invoke Article 32 [Security Exceptions] at any time, whether before or after the commencement of arbitral proceedings shall be non-justiciable. It shall not be open to any tribunal constituted under Chapter IV or Chapter V of this Agreement to review any such decision, even where the arbitral proceedings concern an assessment of any claim for damages and/or compensation, or an adjudication of any other issues referred to such tribunal.